

आवास भारती

वर्ष 19 | अंक 74 | जनवरी-मार्च, 2020



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

नियमित पुनर्वित्त योजना

उद्देश्य:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना

- आवासीय इकाइयों का निर्माण / क्रय
- आवासीय इकाइयों की मरम्मत / नवीकरण / उन्नयन

पात्र ऋण:

- ऋण राशि – कोई सीमा नहीं
- संपत्ति का स्थान – कोई भी
- अंतिम उधारकर्ता – कोई भी

पुनर्वित्त की अवधि:

1 वर्ष से 15 वर्ष

ब्याज दर का प्रकार:

- अस्थिर दर, अथवा
- पुनर्निर्धारण सहित स्थिर दर

ब्याज दर का निर्धारण बाजार की स्थिति के आधार पर संवितरण के समय किया जाएगा।

ब्याज दर में छूट:

निम्नलिखित ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त हेतु ब्याज दर में छूट उपलब्ध होगी:

- ₹10 लाख तक का ऋण
- ग्रामीण इलाकों में ऋण (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)
- महिलाओं के लिए ऋण (जहां महिला वित्तीय संपत्ति की स्वामिनी / सह-स्वामिनी हो)
- अन्य लिंग (थर्ड जेंडर) के वैयक्तिकों हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी / सह-स्वामी हो)
- विकलांग या निरुशक्त जन हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी / सह-स्वामी हो)
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित वैयक्तिकों हेतु ऋण (जहां लाभार्थी किसी वित्तीय संपत्ति का स्वामी / सह-स्वामी हो)
- ग्रीन हाउस (हरित आवास) हेतु ऋण (इस ऋण पर ब्याज छूट घरेलू सौर संयंत्र, जल संरक्षण या रा.आ. बैंक-केएफडब्लू मूल्यांकन मॉडल के तहत कम से कम 18% ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रमाणित ऊर्जा दक्ष आवास हेतु प्राप्त होगी)

ब्याज प्रभारण की सीमा:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की इस योजना के तहत ब्याज पर कोई सीमा नहीं है।



संपादक की कलम से...



मुझे आवास भारती का 74वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस अंक में हमने आवास, आवास वित्त, बैंकिंग, कोविड महामारी, शहरीकरण आदि विषयों पर बेहतरीन लेखों का चयन किया है एवं हम उम्मीद करते हैं कि पूर्व अंकों की तरह यह अंक भी आपको पसंद आएगा।

भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी का जो प्रकोप चल रहा है उसे देखते हुए संपादकीय में इस विषय पर बात करना उचित रहेगा। आज विश्व में करीब 75 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं एवं अबतक लगभग 4 लाख से अधिक लोगों की मौत इस महामारी के चलते हो चुकी है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रकोप न केवल विकसित बल्कि विकासशील देशों में भी देखने को मिल रहा है। यूएसए, इटली, भारत, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और जर्मनी इस महामारी से प्रमुखता से प्रभावित हुए हैं। एक बात इस महामारी के चलते निकल कर आई है कि चाहे विकसित देश हो या विकासशील, सभी देशों में महामारी से निपटने के लिए चिकित्सा का आधारभूत ढांचा इतना सक्षम नहीं है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि चूंकि इतनी बड़ी महामारी करीब 100 वर्षों के बाद फैली है इसलिए इसका पूर्वानुमान लगाना भी संभव नहीं हो पाया।

महामारी के समय कई लोगों की मौत का मुख्य कारण चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध न होना तथा वेंटिलेटर की कमी भी पायी गयी। आज हर देश इस बात को महसूस कर रहा है कि किसी भी बड़ी महामारी से निपटने के लिए चिकित्सीय सेवा की आधारभूत संरचना को बड़ा, मजबूत एवं प्रभावशाली बनाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त यह भी महसूस किया जा रहा है कि प्रत्येक देश अपने यहां चिकित्सीय उपकरण, दवाएं एवं अन्य साजो सामान निर्मित करें जिससे उसको अन्य देशों पर निर्भर न रहना पड़े।

इसके अतिरिक्त सभी देशों को इस स्थिति का भी आकलन करना होगा कि अगर कोई महामारी उनके देश के महानगरों के अतिरिक्त छोटे-छोटे सुदूर प्रदेशों में फैलती है तो वह किस प्रकार से इससे निपट पाएंगे क्योंकि बहुदा यह देखा गया है कि हम देश के महानगरों में फैली बीमारी का इलाज करने में संभव हो पाते हैं क्योंकि महानगरों में बड़े-बड़े अस्पताल, प्रशिक्षित डॉक्टरों की सुलभता रहती है परंतु छोटे-छोटे शहरों एवं जिलों में चिकित्सीय आधारभूत संरचना के साथ-साथ डॉक्टरों की कमी बनी रहती है जिसके चलते कई बार बीमारी पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है।

कोविड-19 महामारी एक प्रकार से सभी देशों के लिए एक सबक है एवं सभी देशों की इस महामारी को खत्म होने के बाद यह मंथन करना जरूरी होगा कि वे किस प्रकार अपने-अपने देशों में जन स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रभावी योजनाएं बनाएं एवं उनका कार्यान्वयन करें। इसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों को चिकित्सा पर अपने बजट को भी बढ़ाना होगा क्योंकि महामारी के समय अपेक्षित बजट न होने के कारण अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाती है क्योंकि महामारी आपको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूप से प्रभावित करती है।

सरकार के साथ-साथ प्रत्येक जनमानस की भी यह जिम्मेदारी है कि वह सरकारों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का तत्परता से पालन करें क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि सावधानी न बरतने के चलते कई लोग अपने साथ-साथ दूसरों को भी संक्रमित कर देते हैं जिसका खामियाजा अन्य लोगों को उठाना पड़ता है।

(रंजन कुमार बरुन)
उप महाप्रबंधक एवं संपादक



आप की पाती

महोदय,

हमें आपके बैंक की गृह पत्रिका के अक्टूबर-दिसंबर, 2019 अंक को पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई। विविध विषयक इस पत्रिका में विभिन्न सामग्रियों का सुनियोजित ढंग से समायोजन किया गया है, जो कि प्रशंसनीय है। उक्त पत्रिका में कुछ ऐसे विषयों का सामंजस्य बेहतर ढंग से किया गया है, जो कि आवास ऋण के लिए इच्छुक लोगों की बहुत सारी शंकाओं, जिज्ञासाओं का समाधान करने में सक्षम हैं। इसके साथ पत्रिका में प्रकाशित अन्य रचनाएं काफी रुचिकर, पठनीय एवं ज्ञानवर्धक हैं। इस पत्रिका के उत्कृष्ट सम्पादन हेतु सुधी संपादक मंडल को धन्यवाद एवं बधाई।

भवदीय,

मुख्य प्रबंधक (राजभाषा),
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

महोदय,

हम, उपरोक्त विषय पर आपके पत्र की प्राप्ति सूचना देते हैं। इसके साथ संलग्न आपकी पत्रिका के 73वें अंक की प्रति हमें प्राप्त हो गई है। यह सराहनीय है कि पत्रिका में बैंकिंग और व्यवसाय जगत से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को जगह दी गई है। इसमें जहां कोरोना वायरस और योग जैसे ज्वलंत मुद्दों को जगह दी गई है, वहीं बैंकिंग के बदलते परिवेश में हिन्दी की भूमिका पर भी बात की गई है। पत्रिका के माध्यम से इस तरह की उपयोगी विषयवस्तु से अवगत कराने का आपका प्रयास बहुत अच्छा है। यह उल्लेखनीय है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मशीन लर्निंग, डेटा निगरानी और गोपनीयता तथा वित्तीय समावेशन जैसे जागरूकता संबंधी लेख भी पत्रिका में शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर पत्रिका सार्थक एवं प्रासंगिक है।

भवदीया,

(अर्चना मदान)

वरिष्ठ प्रशासनिक प्रबंधक,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक, नई दिल्ली

महोदय,

आपके पत्रांक के साथ आपकी हिन्दी गृह पत्रिका 'आवास भारती' का अक्टूबर-दिसम्बर, 2019 का 73 वें अंक को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए धन्यवाद। पत्रिका में अनेक ज्ञानवर्धक लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से बैंकिंग पर आधारित लेख "कैशलेस अर्थव्यवस्था एवं भारतीय बैंकिंग व्यवस्था" एवं "डेटा निगरानी और गोपनीयता" वर्तमान समय में देश के विकास में बैंकों की भूमिका एवं महत्व को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही स्वास्थ्य लेख "कोरोना वायरस - एक आपदा", एवं "बदलते बैंकिंग परिवेश में हिन्दी की भूमिका" संक्षिप्त में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं, जिसे पाठकगण अत्यंत उपयोगी पाएंगे। गृह पत्रिका में कविताओं का समावेश किया गया है एवं सतर्कता जागरूकता सप्ताह की झलकियों की फोटो प्रस्तुत की गई हैं, जो पत्रिका को और भी मनोहारी बनाती हैं। विविध ज्ञान एवं मनोरंजन से परिपूर्ण अंक प्रस्तुत करने के लिए आपको एवं संपादक मण्डल के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई तथा अगले अंक के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं।

भवदीय,

(नवल किशोर दीक्षित)

सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.),
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

महोदय,

आपके द्वारा भेजा गया आवास भारती का अंक 73 प्राप्त हुआ। मैं राष्ट्रीय आवास बैंक को आपकी एक और नवीन एवम उत्तम गृह पत्रिका - आवास भारती के अक्टूबर-दिसम्बर, 2019 का अंक प्रकाशित करने के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'स्वच्छता की सेवा' अभियान की झलकियां, सतर्कता जागरूक सप्ताह, आवास, आवास वित्त, डेटा निगरानी की गोपनीयता के साथ-साथ वर्तमान में समस्त विश्व में एक महामारी के रूप में फैली कोरोना वाइरस बीमारी का उल्लेख भी इस पत्रिका में किया गया है जो सराहनीय है। इसके अलावा सम-सामयिक विषयों से जुड़े लेखों और कविताओं को पत्रिका में स्थान देने हेतु मैं आपको पुनः बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में भी आप हमें नित नए विषयों की जानकारी देते रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ० शैलेश कुमार अग्रवाल)

कार्यकारी निदेशक,
निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली



विषय सूची

विषय	पृष्ठ
1 राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	4
2 कोरोना बॉण्ड : अर्थव्यवस्था बचाने की मुहिम	10
3 कोविड 19 के आर्थिक प्रभाव और आगे का रास्ता	13
4 वैश्विक महामारी के इस दौर में भारत व खाड़ी देष्टा	14
5 गांव से शहर की ओर बढ़ता पलायन: एक चिंता का विज्ञय	17
6 सोने का मोल	19
7 शहरीकरण	21
8 आवास बीमा की जरूरत	27
9 स्वरोजगार सृजन हेतु कुछ सरकारी प्रयास	29
10 कितनी सुरक्षित होती हैं बहुमंजिला इमारतें	32
11 अचल संपत्ति का सही लाभ	34
12 योग करें स्वस्थ रहें	36
13 “कुछ-कुछ ऐसा भी”	37
14 रोग प्रतिरोधक क्षमता	40
15 भाषा संसद	42
16 ठेस	44
17 काव्य सुधा	47

कुल तकनीकी लेख	- 7
कुल सामान्य लेख	- 7
कुल योग	- 14

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन / 2001 / 6138

वर्ष 19, अंक 74, जनवरी-मार्च, 2020

प्रधान संरक्षक

श्री एस. के. होता
प्रबंध निदेशक

उप संरक्षक

वी. वेदीश्वरण
महाप्रबंधक

संपादक

रंजन कुमार बरून
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक

शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल

सुशांत कुमार पाटी, उप महाप्रबंधक
मोहित कौल, सहायक महाप्रबंधक
पीयूष पाण्डेय, क्षेत्रीय प्रबंधक
श्याम सुंदर, क्षेत्रीय प्रबंधक
राम नारायण चौधरी, प्रबंधक
कृष्ण चंद्र मोर्य, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार,
मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं।
संपादक या बैंक का इनके लिए
ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना
अनिवार्य नहीं है।



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

कोर-5 ए, 3-5 वां तल,

भारत पर्यावास केंद्र

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003



राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

एनएचबी रेजीडेक्स, भारत का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई), का जुलाई, 2007 को शुभारंभ किया गया था जो वर्ष 2007 को आधार वर्ष मानते हुए तिमाही आधार पर चयनित शहरों में रिहायशी संपत्तियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का पता लगाता है। वर्तमान व्यष्टि अर्थव्यवस्था परिदृश्य को दर्शाने के लिए एनएचबी रेजीडेक्स को अद्यतित आधार वर्ष, संशोधित कार्यप्रणाली एवं स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ सूचकांकों के कलस्टर सहित नया रूप प्रदान किया गया है। नए रूप में तैयार एनएचबी रेजीडेक्स अपने भौगोलिक कवरेज में वृहत है और दो आवास मूल्य सूचकांक अर्थात् 50 शहरों हेतु एचपीआई @ आकलन मूल्य तथा 50 शहरों के लिए निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु एचपीआई @ बाजार मूल्य, को शामिल करता है। यह कवरेज भारत में 21 राज्यों तक फैला है जिसमें 18 राज्य/केंद्र शासित राजधानियां और 33 स्मार्ट शहर शामिल हैं। एनएचबी रेजीडेक्स ने प्रत्येक 50 शहरों के लिए संयुक्त एचपीआई @ आकलन मूल्य और निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु संयुक्त एचपीआई @ बाजार मूल्य भी शामिल किए हैं।

मार्च, 2018 तक, एचपीआई वित्तीय वर्ष 2012-13 को आधार वर्ष के तौर पर मानते हुए तिमाही आधार पर रिहायशी संपत्तियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का पता लगाते हैं। अप्रैल-जून, 2018 तिमाही से, आधार वर्ष को वित्त वर्ष 2017-18 में स्थानांतरित कर दिया गया है। तीन उत्पाद श्रेणी स्तर नामतः ≤ 60 वर्ग मी., >60 तथा ≤ 110 वर्ग मी. और >110 वर्ग मी. के अंतर्गत इकाईयों हेतु शहर स्तर (भारतीय रूपए/ वर्ग फीट) पर कारपेट क्षेत्र आकार के आधार पर आवास मूल्यों को वर्गीकृत किया गया है। सूचकांकों की गणना लासपियर्स प्रणाली के उपयोग से की गई है, जिसके बाद नए आधार वर्ष से शुरू करते हुए सभी तिमाहियों में चार तिमाही भारत गतिशील औसत की गणना, भारत गतिशील औसत उत्पाद श्रेणी स्तर के मूल्यों पर उत्पाद श्रेणी स्तर पर गतिशील भार के अनुप्रयोग और स्थिर आधार वर्ष भार के साथ की जाती है।

आधार वर्ष वित्त वर्ष 2017-2018 के साथ जुलाई-सितंबर, 2019 तिमाही के दौरान 50 शहरों पर आधारित संयुक्त एचपीआई @ आकलन मूल्य

- संयुक्त एचपीआई @ आकलन मूल्य जून, 2013 में 83 पर था और वर्तमान तिमाही यानी सितंबर, 2019 में 110 पहुंच गया है। पिछले कुछ वर्षों में 4.6% के सीएजीआर के साथ सूचकांक बढ़ गया है।

- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सूचकांक में 5.8% की बढ़ोतरी देखी गई।

आधार वर्ष वित्त वर्ष 2017-2018 के साथ जुलाई-सितंबर, 2019 तिमाही के दौरान एचपीआई @ आकलन मूल्य के अंतर्गत शहर-वार उतार-चढ़ाव

- एचपीआई ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कुल मिलाकर 43 शहरों में बढ़ोतरी, 5 शहरों में गिरावट और 2 शहर में कोई बदलाव नहीं रिकॉर्ड किया गया है।
- तिमाही के अंत में एचपीआई में वार्षिक वृद्धि हैदराबाद में 18.3% और गुवाहाटी में 15.5% से चाकन में (-) 6.7% तक है।
- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8 टीयर-1 शहरों में से, 18.3% के साथ हैदराबाद में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई जिसके बाद अहमदाबाद 11.4%, बेंगलुरु 8.3%, कोलकाता 5.8%, चेन्नई 4%, मुंबई 2.9% और पुणे 2.8% पर हैं। दिल्ली में सूचकांक में (-) 2.0% की गिरावट देखी गई।
- 29 टीयर-2 शहरों में से, वर्ष दर वर्ष आधार पर सूचकांक में (15.5%), गुवाहाटी में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है जिसके बाद रांची (13.6%), तिरुवनंतपुरम (13.5%) और लुधियाना (12.9%) पर है जबकि सूचकांक में फरीदाबाद में (-2.0%) और भोपाल में (-1.0%) की जबरदस्त गिरावट देखी गई।
- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, 13 में से 11 टीयर-3 शहरों में वृद्धि देखी गई जिसके बाद सूचकांक में गांधीनगर (14.4%), कोयंबटूर (11.3%) पर है और न्यू टाउन कोलकाता (10.2%) में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सूचकांक में चाकन (-6.7%) और पिंपरी चिंचवाड़ (-1.9%) में जबरदस्त गिरावट देखी गई।

आधार वर्ष वित्त वर्ष 2017-2018 के साथ जुलाई-सितंबर, 2019 तिमाही के दौरान 50 शहरों पर आधारित निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु संयुक्त एचपीआई @ बाजार मूल्य

- निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु संयुक्त एचपीआई @ बाजार मूल्य जून, 2013 में 85 पर था और वर्तमान तिमाही यानी सितंबर, 2019 में तेजी से 104 तक की बढ़ोतरी हुई। पिछले कुछ वर्षों में 3.3% के



सीएजीआर के साथ सूचकांक बढ़ गया है।

- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सूचकांक में 2.0% की बढ़ोतरी देखी गई।

आधार वर्ष वित्त वर्ष 2017-2018के साथ जुलाई-सितंबर, 2019 तिमाही के दौरान निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु एचपीआई @ बाजार मूल्य के अंतर्गत शहर-वार उतार-चढ़ाव

- एचपीआई ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कुल मिलाकर 30 शहरों में बढ़ोतरी, 15 शहरों में गिरावट और 5 शहर में कोई बदलाव नहीं रिकॉर्ड किया गया है।
- एचपीआई में वार्षिक वृद्धि तिमाही के अंत में पटना में 18.0% से लेकर नोएडा में (-) 9.7% तक है।
- वार्षिक आधार पर, 8 में से 5 टीयर-1 शहरों में वृद्धि देखी गई जिसके बाद हैदराबाद (13.3%), कोलकाता (3.7%), अहमदाबाद, बेंगलुरु और मुंबई (2.0%) में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। सूचकांक में पुणे में कोई बदलाव नहीं देखा गया, जबकि सूचकांक में दिल्ली और चेन्नई में क्रमशः (-) 6.9% और (-) 1.0% गिरावट देखी गई।

- कवर किए जा रहे 29 टीयर-2 शहरों में से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सूचकांक में सबसे अधिक बढ़ोतरी पटना (18.0%) में देखी गई जिसके बाद वडोदरा (10.2%), इंदौर (8.7%) और नागपुर (7.7%), पर है, जबकि सूचकांक में सबसे अधिक गिरावट नोएडा (-9.7%), फरीदाबाद (-9.2%), विजयवाड़ा और गुरुग्राम (-3.9%), कोच्चि, मेरठ और रांची (-3.0%), चंडीगढ़ (ट्राईसिटी) और देहरादून (-2.0%) में देखी गई।
- 13 टीयर-3 शहरों में से वर्ष दर वर्ष आधार पर नवी मुंबई में 11.9%, गांधीनगर में 7.7%, कल्याण डोंबिवली में 7.5% से भिवण्डी में (-) 5.8% की विभिन्नता थी।
- अतिरिक्त जानकारी हेतु, जून, 2013 से सितंबर, 2019 की अवधि के दौरान एचपीआई @ आकलन मूल्य एवं निर्माणाधीन संपत्तियों हेतु एचपीआई @ बाजार मूल्य के माध्यम से शहरवार और उत्पादवार मूल्य प्रवृत्ति <https://residex.nhbonline.org.in> देखी जा सकती है।



आवास वित्त उद्योग में कार्यरत महिलाओं हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम





रा.आ.बैंक को सौंपी गई कई जिम्मेदारियों में से, मानव संसाधन का विकास बैंक का एक प्रमुख एजेंडा है। तदनुसार, बैंक ने आवास वित्त कंपनियों (आ. वि.कं.), वाणिज्यिक बैंकों एवं सार्वजनिक आवास एजेंसियों के अधिकारियों के लिए आवास से संबंधित मामलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार तथा संगोष्ठियों के माध्यम से इसे आंशिक रूप से पूरा करने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली में 06 मार्च, 2020 को आवास वित्त उद्योग में कार्यरत महिलाओं हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम एक दिन की अवधि का था और इसमें 16 आवास वित्त कंपनियों की 32 महिला अधिकारियों ने सहभागिता दर्ज की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवास एवं आवास वित्त उद्योग का विहंगावलोकन, आ.वि.कं. हेतु पर्यवेक्षी ढांचा, कार्यस्थल में महिला तथा नेतृत्व पर सत्र थे। प्रशिक्षण संकाय आंतरिक, बाह्य शिक्षा एवं उद्योग के विशेषज्ञों का मिश्रण था। उद्योग में महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक पारस्परिक सत्र था जिसमें सभी महिलाओं ने अपनी समस्याओं को साझा किया।



दिनांक 24-25 फरवरी, 2020 को भारत पर्यावास केंद्र में आवास वित्त कंपनियों के लिए "आवास वित्त कंपनियों हेतु पर्यवेक्षण" विषय पर दो दिवसीय रिहायशी प्रशिक्षण कार्यक्रम





बैंक के संवर्धक अधिदेश के अनुसार, एमआरसीपीडी/सीसीसी को आवास एवं आवास वित्त के विभिन्न विषयों पर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंक ने 24-25 फरवरी, 2020 को भारत पर्यावास केंद्र में आवास वित्त कंपनियों के लिए अनिवार्यतः "आवास वित्त कंपनियों हेतु पर्यवेक्षण" नामक विषय पर दो दिवसीय रिहायशी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में, बैंक ने आवास वित्त उद्योग के पर्यवेक्षण के विभिन्न पहलुओं पर बातचित करने के लिए आरबीआई, आईसीएआई से बाह्य संकाय एवं रा.आ.बैंक से आंतरिक संकाय को आमंत्रित किया। आवास वित्त क्षेत्र के कार्मिकों द्वारा कार्यक्रम को सराहा गया।

आ.वि.कं. एवं बैंकों के अधिकारियों के लिए 21 जनवरी, 2020 को "पीएमएवाई-सीएलएसएस" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम



बैंक ने उन आ.वि.कं. एवं बैंकों के अधिकारियों के लिए 21 जनवरी, 2020 को "पीएमएवाई-सीएलएसएस" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिनके पास या तो बकाया आवास ऋण हैं या जो पीएमएवाई-सीएलएसएस के अंतर्गत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास ऋण पोर्टफोलियो के निर्माण में रुचि रखते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यापक

रूप से पीएमएवाई-सीएलएसएस के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है। इसके अतिरिक्त, पारस्परिक सत्र का संचालन आ.वि.कं. एवं बैंकों के शिकायत निवारण और समस्या को हल करने के उद्देश्य से किया गया था। प्रशिक्षण में 20 आवास वित्त कंपनियों के 40 से अधिक कार्मिकों ने भाग लिया।



विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ) योजना

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक को 10,000 करोड़ रुपये की एक विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान की है, जिससे कि बैंक आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के माध्यम से आवास क्षेत्र में चलनिधि की तरलता को बनाये रखे एवं इसके साथ ही अन्य प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को अधिक सस्ती दरों पर निधि और क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

तदनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक ने विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ) योजना आरम्भ की है। योजना का उद्देश्य आवास वित्त कंपनियों और अन्य पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को अल्पकालिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना है जो उनके चलनिधि जोखिम को आंशिक रूप से कम करेगी और समग्र आवास वित्त प्रणाली में अत्यधिक आवश्यक चलनिधि की उपलब्धता में सुधार करेगी। इस योजना के अंतर्गत कुल 10,000 करोड़ रु की राशि आवंटित की गयी है। योजना के तहत पात्रता मानदंड और अन्य पैरामीटर निम्नलिखित हैं

1	पात्र संस्थान	एचएफसी/आरआरबी/एसएफबी/एससीबी, केवल विशेष चलनिधि सुविधा के विशिष्ट उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक की उदारीकृत पुनर्वित्त योजना (एलआरएस) के अंतर्गत कुछ छूट के साथ पुनर्वित्त हेतु पात्र होंगे <ul style="list-style-type: none"> अधिकतम निवल एनपीए की सीमा 7.50% कुल आस्तियों की तुलना में वैयक्तिक आवास ऋण का अनुपात न्यूनतम 51% जैसा कि उदारीकृत पुनर्वित्त योजना (एलआरएस) के अंतर्गत है। आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान द्वारा अपने ग्राहकों को अधिस्थगन की सुविधा प्रदान की गयी होनी चाहिए और इसका अधिस्थगन की अवधि के दौरान आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के नकदी प्रवाह के कम से कम 15% पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना चाहिए।
2	ऋण की अवधि	आहरण की तिथि से एक वर्ष तक। अनुमत अवधि के अंत में या इससे पूर्व किसी तिथि (पूर्व भुगतान के मामले में 30 दिनों के नोटिस के साथ) को चुकाना होगा।
3	ब्याज	ब्याज दर प्राथमिक ऋणदाता संस्थान की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग पर आधारित होगी तथा ब्याज का भुगतान अन्य पुनर्वित्त योजनाओं पर ब्याज के भुगतान के साथ तिमाही आधार पर करना होगा।
4	सुविधा के तहत पुनर्वित्त की सीमा	<ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के निवल स्वाधिकृत निधि का 20% या, 750 करोड़ रु, जो भी कम हो। पात्र राशि अधिस्थगन की अवधि (01/03/2020 – 31/05/2020) के दौरान आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के नकदी प्रवाह पर अधिस्थगन के प्रभाव के मूल्यांकन पर आधारित होगी।
5	पुनर्वित्त के लिए प्रतिभूति	<ul style="list-style-type: none"> जैसा राष्ट्रीय आवास बैंक की मौजूदा उदारीकृत पुनर्वित्त योजना (एलआरएस) के तहत लागू। इसके अलावा, आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को मांग वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। आहरण के समय, प्राथमिक ऋणदाता संस्थान चिन्हित ऋण सूची प्रदान करेगा और यह भी वचन देगा कि इन ऋणों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा (राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के 16ख के तहत कवर किया जाएगा)। 100% तक की सुविधा के लिए केवल मानक खातों को ही चिन्हित किया जा सकता है।



6	उपयोग	<ul style="list-style-type: none"> आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को इस सुविधा के तहत आहरित निधियों का उपयोग एक वर्ष की अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी जैसा कि नीचे उल्लिखित है, में आने वाले वैयक्तिक आवास ऋणों के संवितरण के लिए करने के लिए करना होगा। <table border="1" data-bbox="703 428 1099 682"> <thead> <tr> <th>न्यूनतम</th> <th>अवधि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>तीन महीने</td> </tr> <tr> <td>50%</td> <td>छह महीने</td> </tr> <tr> <td>75%</td> <td>नौ महीने</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>एक वर्ष</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को हर तिमाही में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त अनुपात प्राप्त नहीं करने की स्थिति में, 2% की अतिरिक्त ब्याज तब तक लिया जाएगा जब तक कि कमी को पूरा नहीं किया जाता। 	न्यूनतम	अवधि	25%	तीन महीने	50%	छह महीने	75%	नौ महीने	100%	एक वर्ष
न्यूनतम	अवधि											
25%	तीन महीने											
50%	छह महीने											
75%	नौ महीने											
100%	एक वर्ष											
7	आवेदन	<ul style="list-style-type: none"> इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान निर्धारित प्रारूप (राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध) में यथा 31.03.2020 के अनंतिम तुलन पत्र के साथ तथा 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण के साथ अपना आवेदन महाप्रबंधक, पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर सकते हैं। <p>यथा 31.03.2020 के तुलन पत्र और अन्य अनंतिम मापदंडों को संयुक्त रूप से सीईओ और सीएफओ द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।</p>										

वैयक्तिक आवास ऋण अनुपात, निवल स्वाधिकृत निधि तथा एनएनपीए अनुपात और प्राथमिक ऋणदाता संस्थान की आंतरिक रेटिंग अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र पर आधारित होनी चाहिए जो कि 31 मार्च, 2019 से पूर्व का न हो। जहां वित्त वर्ष 2020 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम उपलब्ध नहीं हैं, प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर रेटिंग की जा सकती है और इस तरह के

अनंतिम रेटिंग का उपयोग केवल एसआरएफ के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्राथमिक ऋणदाता संस्थान ध्यान दें कि यह एक अल्पकालिक चलनिधि सुविधा है और इसलिए, इच्छुक प्राथमिक ऋणदाता संस्थान से अनुरोध है कि वे समय पर प्रसंस्करण, प्रलेखन और संवितरण के लिए विधिवत प्रमाणित दस्तावेजों के पूर्ण सेट के साथ अपने भली भांति पूरे किये गए आवेदन को प्रस्तुत करें।





कोरोना बॉण्ड : अर्थव्यवस्था बचाने की मुहिम

— अक्षय कुमार
उप प्रबंधक



संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु विश्व के लगभग सभी देशों में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लॉकडाउन की व्यवस्था को अमल में लाया गया है। लॉकडाउन के कारण देश के भीतर होने वाला या एक देश का दूसरे देश से होने वाला आर्थिक संव्यवहार पूरी तरह से ठप्प है, जिसके कारण प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। लोगों के समक्ष खाद्य और रोजगार का संकट है। संकट के इस दौर में प्रत्येक देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये विभिन्न वैकल्पिक साधनों को अपना रहे हैं। यूरोपीय संघ और यूरोजोन भी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये इन वैकल्पिक साधनों के प्रयोग को लेकर तत्पर हैं। इन वैकल्पिक साधनों में सामूहिक ऋण प्रपत्र अर्थात कोरोना बॉण्डस प्रमुख हैं।

बॉण्ड से तात्पर्य?

- बॉण्ड एक ऋण निवेश प्रपत्र होता है। जो किसी देश की सरकार या कार्पोरेट कंपनी द्वारा निवेशकों के लिये जारी किये जाते हैं।
- सरकार या कंपनी पूंजी जुटाने के उद्देश्य से बाजार से मुद्रा ऋण लेने के लिये बॉण्ड जारी करती है।



- बॉण्ड जारीकर्ता निवेशकों से ऋण में ली गई मुद्रा के बदले में निवेशकों को ऋण प्रपत्र के रूप में बॉण्ड जारी करता है।
- बॉण्ड जारीकर्ता निवेशक से एक निश्चित ब्याज दर पर निर्धारित समय के लिये ऋण लेता है।



क्या है कोरोना बॉण्ड?

- कोरोना बॉण्ड यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामूहिक ऋण प्रपत्र होगा, जिसका उद्देश्य यूरोजोन देशों के कोरोना वायरस पीड़ितों को वित्तीय राहत प्रदान करना है।
- यह यूरोपीय संघ द्वारा सभी राज्यों के सामूहिक रूप से लिये गए ऋण के साथ यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा प्राप्त निधियों को पारस्परिक रूप से जोड़ा जाएगा और आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- कोरोनावायरस महामारी ने यूरोजोन देशों के बीच संयुक्त रूप से स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये ऋण जारी करने और पालन करने के लिये निर्धारित गहरी आर्थिक मंदी को दूर करने के बारे में एक तीक्ष्ण बहस को पुनर्जीवित किया है।
- यूरो मुद्रा का प्रयोग करने वाले 19 देशों में से 9 देशों ने सामूहिक ऋण प्रपत्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया है।



- दूसरी ओर इस तरह के सामूहिक ऋण प्रपत्र के विचार, जिसे 'कोरोना बॉण्ड्स' कहा जाता है को जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। इन देशों के समूह को फ्रूगल फोर कहते हैं।

बिना रोक टोक के नौकरी, व्यवसाय तथा स्थायी तौर पर निवास कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स यूरोपीय संघ की खासियत है।

फ्रूगल फोर बनाम प्रो बॉण्ड्स विवाद

- यूरोजोन के 9 देशों ने एक सामूहिक ऋण प्रपत्र जारी करने का आह्वान किया था जिनमें स्पेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, आयरलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस और स्लोवेनिया हैं।
- 9 देशों ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यूरोपीय संस्था द्वारा जारी किये गए एक सामूहिक ऋण प्रपत्र पर कार्य करने की आवश्यकता पर बल देने की बात की।
- यूरोजोन के 9 देशों ने सामूहिक ऋण प्रपत्र को स्वीकृति देने का निवेदन किया वहीं यूरोजोन के अपेक्षकृत रूप से संपन्न राष्ट्रों ने सामूहिक ऋण प्रपत्र का विरोध किया।
- इन संपन्न राष्ट्रों का मानना है कि कोरोना बॉण्ड्स के कारण उनकी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो जाएगा।
- जबकि सामूहिक ऋण प्रपत्र का समर्थन करने वाले देशों का मानना है कि जर्मनी, फिनलैंड आस्ट्रिया तथा नीदरलैंड जैसे देशों ने यूरोपीय संघ से सर्वाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त किया है, ऐसे में यह उन देशों का नैतिक



यूरोपीय संघ

- यूरोपीय संघ 27 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके और लोग एक-दूसरे से कोई विवाद न करें क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है कि जो देश आपस में जितना ज्यादा व्यापार करते हैं उनकी लड़ाई होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है।
- यही कारण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप में यह कोशिश की गई कि सभी देश आर्थिक रूप से एक साथ आएँ और एकजुट होकर एक व्यापार समूह का हिस्सा बनें।
- इसी व्यापार समूह की वजह से आगे चलकर वर्ष 1993 में यूरोपीय संघ का जन्म हुआ। वर्ष 2004 में जब यूरो मुद्रा लॉन्च की गई तब यह पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट हुआ।
- यूरोपीय संघ मास्ट्रिख संधि द्वारा बनाया गया था, जो 01 नवंबर, 1993 को लागू हुई थी।
- एकल बाजार सिद्धांत अर्थात् किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ-जा सकते हैं एवं लोग



कर्तव्य है कि वह इस संकट की घड़ी में यूरोजोन के अपेक्षकृत कमजोर देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करें।



- सामूहिक ऋण प्रपत्र का समर्थन करने वाले देशों को प्रो बॉण्डस कंट्री कहा गया तो वहीं इसका विरोध करने वाले देशों को फ्रूगल फोर कंट्री कहा गया।

यूरोपीय संघ द्वारा घोषित किये गए आर्थिक उपाय

- कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिये यूरोपीय संघ ने 540 बिलियन यूरो का आर्थिक पैकेज जारी किया है।
- यूरोपीय संघ ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन खोलने, यूरोपीय निवेश बैंक की उधार क्षमता बढ़ाने और यूरोपीय आयोग की 100 बिलियन यूरो की बेरोजगारी बीमा योजना को लागू करने का भी निर्णय किया है।
- यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अगले 9महीनों में 750 बिलियन यूरो की राशि के साथ परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
- यूरोपीय संघ ने संपन्न सदस्य राष्ट्रों से कोरोना वायरस से अत्यधिक पीड़ित अन्य सदस्य राष्ट्रों की सहायता करने की भी अपील की है।



यूरोजोन

- वर्ष 1998 में यूरोपीय संघ के 11सदस्य राष्ट्रों ने यूरोजोन के मानदंडों को पूरा किया जिससे यूरोजोन अस्तित्व में आया।
- यूरोजोन का आधिकारिक शुभारंभ 01 जनवरी 1999 को हुआ।
- यूरोजोन 27 यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों में से 19राष्ट्रों का एक मौद्रिक संघ है जिसने यूरो को मुद्रा के एकमात्र कानूनी निविदा के रूप में अपनाया है।

- इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन शामिल हैं।

लाभ

- कोरोना बॉण्ड का लाभ यह है कि वे यूरोपीय देशों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सुविधा देंगे।
- कोरोना वायरस से अत्यधिक प्रभावित देश अपने राष्ट्रीय ऋण का विस्तार किये बिना आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों द्वारा एकता के प्रदर्शन से यूरोप के सभी राष्ट्रों के बीच इस संकट से निकलने का विश्वास मजबूत होगा।

कहानियाँ

- कोरोना बॉण्ड का एक नुकसान यह है कि यह सदस्य राष्ट्रों की आवश्यक रूप से ऋण वहनीयता की शक्ति में वृद्धि नहीं करेगा।
- यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामूहिक ऋण प्रपत्र के कार्यान्वयन में भी बहुत समय लग सकता है। यह देरी उन देशों के लिये उचित नहीं है, जिन्हें तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
- फ्रूगल फोर देशों का किया जाने वाला विरोध यूरोपीय संघ के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। ऐसे में इस आशंका को भी बल मिलता है कि ब्रिटेन की भांति कहीं अन्य देश भी यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय न कर लें।

निष्कर्ष

कोरोना बॉण्ड को लेकर उत्पन्न विवाद मुख्य रूप से अधिकार व कर्तव्यों के मध्य संघर्ष का परिणाम है। जहाँ एक ओर इटली जैसे राष्ट्र हैं जो इस महामारी से अधिक संकटग्रस्त हैं तथा सहायता हेतु प्रयासरत हैं। वहीं दूसरी ओर जर्मनी जैसे राष्ट्र हैं जो इस संकट से कम प्रभावित हैं, परंतु अन्य देश की आर्थिक सहायता करने का बोझ स्वयं पर नहीं लेना चाहते हैं। पूर्व में इस प्रकार की सामूहिक ऋण प्रक्रिया ब्रेकिजट जैसे संकट को भी जन्म दे चुकी है। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर अधिक सावधानी रखी जाए। इस समय सभी राष्ट्रों को यह समझना होगा कि राष्ट्र हित, मानवीय हितों से बढ़कर नहीं हो सकता है। इस संकट को सामूहिक प्रयत्न से ही दूर किया जा सकता है।





कोविड 19 के आर्थिक प्रभाव और आगे का रास्ता

— विष्णु गुप्त अग्रवाल
सहायक प्रबंधक

“कोविड 19 हमारी दुनिया को एक नया रूप देगा, हम यह तो नहीं जानते कि यह कब खत्म होगा किंतु जब होगा, हमारी दुनिया बहुत अलग दिखाई देगी”

— जोसफ वोवेल

मानव प्रजाति के लिए महामारी कोई अनसुनी, विचित्र या नई घटना नहीं है। काल-आदिकाल से जब से मानव ने होश संभाला, मानव और प्रकृति का रिश्ता हमेशा लाभकारी नहीं था। फिर चाहे, वह 5वीं सदी (ई.पू.) का प्लेग ऑफ जस्टिनियन हो या 14वीं सदी का बूबोनिक प्लेग। इन सभी से आई आपदाएं मनुष्यों के नरसंहार का कारण बनी जिसने एक बार में लाखों मनुष्यों को धरती से समाप्त कर दिया। कई संकट इंसान के सामने लाकर खड़े किए जो कल्पना से परे था। कोविड 19 उन उभरते हुए संकटों में से एक है।

कोविड 19 से पहुंचने वाली जान की क्षति की भरपाई कर पाना नामुमकिन होगा और इससे होने वाले आर्थिक नुकसान का मूल्यांकन कर पाना। पिछले एक महीने में भारत पर आए वित्त संकट पर एक नजर:

(क) एनबीएफसी/आ.वि.कं. पर प्रभाव:— सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र 'सेवा क्षेत्र' हो सकता है जिसके तहत आने वाले 'रिएल स्टेट' को भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तरलता की कमी के चलते यह क्षेत्र पहले से ही काफी परेशानियों से जूझ रहा था और आईएल एंड एफएस की चूक के बाद संकट के बादल और घने हो चुके थे। कोविड 19 के चलते कुछ और आयाम बिगड़ सकते हैं। जैसे:—

- 1) नहीं बिक पाए 'भू-संपदा प्रविष्टियों' का और बढ़ना
- 2) नरेडको के मुताबिक सेक्टर को 1 लाख करोड़ रु. का नुकसान हो सकता है।
- 3) दिए गए ऋण में और तनाव आना तथा अचल संपत्ति के दामों में गिरावट।

(ख) महंगाई पर असर:— गैर-जरूरी चीजों की सूची में आने वाले उत्पादों में मांग की कमी के कारण उनके दामों में गिरावट आ सकती है। वहीं जरूरी चीजों के प्रदान, निर्यात-आयात में कोई भी गड़बड़ी महंगाई को बढ़ा सकती है जो एक आम आदमी के लिए निश्चित ही तकलीफदेह होगी।

(ग) बाजार पर प्रभाव:— बड़ी कंपनियों की बाजार में शेयरों की कीमत गिरने से उनके मालिकाना हक में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, विदेशी कंपनियों द्वारा शेयर खरीदा जाना एक उभरती हुई घटना है। वहीं छोटे, मध्यम एवं लघु उद्यमों के उत्पादन में गिरावट के कारण काफी कुछ ठप्प होने की उम्मीद है जो देश के 'अनौपचारिक क्षेत्र' में पैदा होने वाले रोजगार को काफी क्षति पहुंचा सकता है।

(घ) बैंकों पर प्रभाव:— आम आदमी अपनी आमदनी की रूकावट के चलते अपनी बचत बैंक खातों की तरफ रूख करेगा जिससे बैंकों के एनडीटीएल में गिरावट

आएगी वहीं दिए गए ऋण/उधार तनाव में जाएंगे।

- 'फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी रिपोर्ट' के अनुसार एनपीए की संख्या 10.5 प्रतिशत तक जाने की उम्मीद।
- क्रेडिट लागत में 130 प्वाइंट तक की वृद्धि हो सकती है।
- तरलता में भारी कमी।

(ङ) फॉरेक्स बाजार पर असर:— डॉलर की बदलती कीमत के चलते जहां रूपए की कीमत गिर सकती है वहीं कच्चे तेल के दामों में गिरावट के चलते इससे मिला-जुला असर पड़ने की उम्मीद है। अभी के लिए यह भी एक चिंता का विषय है।

इन सभी विपदाओं के चलते इस समय में सख्ती की जरूरत है। सरकार और आरबीआई को साथ में मिलकर काम करने की और कुछ कदम उठाने की जैसे:—

- i. गरीब (अत्यंत) के हाथ में सीधा पैसा पहुंचाना
- ii. वित्तीय स्थिरता, महंगाई को सीमा में रखना।
- iii. विवरणात्मक मौद्रिक नीति
- iv. सरकार को हिदायत है कि वो कॉरपोरेट/एमएसएमई पर कर न लादे, उनको जीवित रखना, इस समय का उद्देश्य होनी चाहिए।
- v. क्रेडिट गारंटी देना, उधारकर्ताओं को सहनशीलता प्रदान करना।
- vi. कर में रियायतें, ब्याज दर में कमी और देश के छोटे कारखानों का नौकरी और जीडीपी में योगदान जारी रखना।
- vii. लोगों/निवेशकों के लिए विश्वास का वातावरण बनाए रखना।
- viii. सरकार के लिए जरूरी है कि वो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य में चूक करे तो।

कोविड 19 में जरूरत है एक क्रांति की जो आने वाले समय में हमारी सोच, हमारे वैश्विक आर्थिक ढांचे में बदलाव की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भूमिकाओं की तकनीकी अनुसंधान में निवेश, हमारे और प्रकृति के बीच तालमेल की, जलवायु परिवर्तन को समझने की और विचारधाराओं को बदलने की, शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी बदलाव अति आवश्यक है, चूंकि यह कथन आज की सच्चाई से हमें रूबरू कराता है।

“दुनिया में अभी परमाणु हथियारों की संख्या इतनी है कि वह इंसानियत को तीन बार मिटा दे लेकिन “डॉक्टर और अस्पताल इतने भी नहीं” जो इसका वजूद बचा सकें।”





वैश्विक महामारी के इस दौर में भारत व खाड़ी देश

— मनोज कुमार
उप प्रबंधक



संदर्भ

जहाँ एक ओर COVID-19 महामारी के बढ़ते प्रसार ने मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट से खाड़ी देशों पर दोहरी मार पड़ रही है। इस दोहरे खतरे को संतुलित करने के लिये समन्वित व सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत के प्राचीन काल से ही खाड़ी देशों के साथ महत्त्वपूर्ण संबंध रहे हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के न केवल व्यापारिक संबंध रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक व राजनैतिक संबंध भी रहे हैं। वर्तमान में खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय लोग कार्य कर रहे हैं। चूँकि इस समय खाड़ी देश विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिये इन देशों में कार्यरत भारतीय लोगों को भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत सरकार ने खाड़ी देशों के साथ सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत अपनी जरूरत का 65 प्रतिशत गैस और कच्चा तेल खाड़ी देशों से ही प्राप्त करता है। खाड़ी क्षेत्र में 90 लाख प्रवासी भारतीय निवास करते हैं जो लगभग 40 बिलियन डॉलर की धनराशि भी प्रेषण के माध्यम से भारत को भेजते हैं।

इस आलेख में भारत व खाड़ी देशों के मध्य संबंधों की पृष्ठभूमि पर विमर्श करने के साथ ही विभिन्न चुनौतियों और खाड़ी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति की समीक्षा करने का भी प्रयास किया जाएगा।



खाड़ी देशों का इतिहास

सामान्यतः जब खाड़ी देशों की बात की जाती है तो मुख्य रूप से कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन को शामिल किया जाता है। ये 6 देश खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council & GCC) के संस्थापक सदस्य हैं।

- इन सभी देशों की सीमा फारस की खाड़ी से मिलती है, इसलिये इन देशों को सामूहिक रूप से खाड़ी देश के रूप में जाना जाता है।
- विदित है कि ईरान व ईराक की भी सीमा फारस की खाड़ी से मिलती है और खाड़ी देशों में इनकी गिनती होती है, परंतु दोनों ही देश सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक कारणों से खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य नहीं बन पाएँ हैं।

क्या है खाड़ी सहयोग परिषद?

- खाड़ी सहयोग परिषद अरब प्रायद्वीप में छह देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- वर्ष 1981 में स्थापित, GCC छह देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है और सहयोग तथा क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिये प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है।
- सुरक्षा विशेषज्ञों ने खाड़ी सहयोग परिषद को 'अरब नाटो' की संज्ञा दी है।
- खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में स्थित है।
- खाड़ी सहयोग परिषद के कार्य संचालन की भाषा 'अरबी' है।
- वर्ष 2019 में खाड़ी सहयोग परिषद का 40वाँ शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था।

खाड़ी देशों की चुनौतियाँ

- वैश्विक लॉकडाउन के कारण हाइड्रोकार्बन की खपत में कमी आ गई है।
- गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, लॉकडाउन के बाद कच्चे तेल के उपभोग में प्रतिदिन 28 मीलियन बैरल की गिरावट दर्ज की गई है।
- कच्चे तेल की मांग में अत्यधिक गिरावट के कारण उत्पादन कम करने को





लेकर तेल उत्पादक देशों के संगठन और रूस के मध्य हो रही वार्ता विफल हो गई, परिणामस्वरूप मांग में कमी व उत्पादन जिस का तस बना रहने के कारण कच्चे तेल के मूल्य में अप्रत्याशित गिरावट हुई।

- तेल उत्पादक देशों के संगठन और अंतर्राष्ट्रीय उर्जा एजेंसी के आकलन के अनुसार, वर्ष 2020 में दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणामों के साथ विकासशील देशों के तेल और गैस राजस्व में 50 प्रतिशत से 85 प्रतिशत की गिरावट आएगी।
- वर्ष 2020 में सऊदी अरब का राजकोषीय घाटा 8 प्रतिशत से अधिक हो जाने की संभावना है।
- संयुक्त अरब अमीरात एक पर्यटन गंतव्य देश है, वैश्विक लॉकडाउन के परिणामस्वरूप यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में तीव्र गिरावट हुई है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार के कारण खाड़ी देशों में आयोजित होने वाले हज व उमरा जैसे धार्मिक कार्यक्रमों को भी स्थगित किया जा सकता है।
- वैश्विक महामारी COVID-19 से ईरान व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है।


तेल निर्यातक देशों के संगठन-ओपेक

- OPEC एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका गठन 10-14 सितंबर, 1960 को आयोजित बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने किया था।
- इन पाँच संस्थापक सदस्यों के बाद इसमें कुछ अन्य सदस्यों को शामिल किया गया, ये देश हैं- कतर (1961), इंडोनेशिया (1962), लीबिया (1962), संयुक्त अरब अमीरात (1967), अल्जीरिया (1969), नाइजीरिया (1971), इक्वाडोर (1973), अंगोला (2007), गैबन (1975), इक्वेटोरियल गिनी (2017) और कांगो (2018)
- इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी, लेकिन अक्टूबर 2007 में वह पुनः OPEC में शामिल हो गया।
- इंडोनेशिया ने जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता त्याग दी। जनवरी 2016 में यह फिर से इसमें सक्रिय रूप से शामिल हुआ, लेकिन 30 नवंबर, 2016 को OPEC सम्मेलन की 171वीं बैठक में एक बार फिर इसने अपनी सदस्यता स्थगित करने का फैसला किया।
- गैबन ने जनवरी 1995 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी। हालाँकि, जुलाई 2016 में वह फिर से संगठन में शामिल हो गया।

- कतर ने 1 जनवरी, 2019 को और इक्वाडोर ने 1 जनवरी, 2020 को अपनी सदस्यता त्याग दी थी। अतः वर्तमान में इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 13 है।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है तथा इसका सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि भारत सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात सऊदी अरब से ही करता है।
- खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा भारतीय कामगार काम करते हैं। इन देशों में यह संख्या लगभग 90 लाख है। इन कामगारों के द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत को भेजी जाती है। अतः इस संकट से प्रेषण पर असर पड़ सकता है।
- इस वैश्विक संकट से उभरी परिस्थिति में नए कूटनीतिक तालमेल बिठाने की जरूरत पड़ेगी।
- इस महामारी के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में रह रहे कामगार भारत वापस आ जाएँगे, जिससे इन लोगों को अर्थव्यवस्था में समायोजित करना एक बड़ी चुनौती होगी।
- खाड़ी देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर वे बड़ी संख्या में भारतीय कामगारों को नौकरी से निकाल सकते हैं, जिससे उन देशों में निवास कर रहे लोगों की समक्ष जीवन का संकट उत्पन्न हो जाएगा।



- ईरान इस वैश्विक महामारी से व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ है, परिणामस्वरूप भारत द्वारा विकसित किये जा रहे चाबहार बंदरगाह के परिचालन में समस्या उत्पन्न होने के संभावना है।



- इस समय चीन द्वारा ही COVID-19 महामारी पर नियंत्रण पाया जा सका है, ऐसे में चीन द्वारा अपनी सॉफ्ट पॉवर का प्रयोग करते हुए खाड़ी देशों को पहुँचाई गई सहायता उसे अपेक्षाकृत इन देशों के नजदीक ला सकती है।

भारत के लिये खाड़ी देशों का महत्त्व

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत और खाड़ी देशों के बीच लगभग 162 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है। यह एक वर्ष में भारत के द्वारा पूरे विश्व के साथ किये जाने वाले व्यापार का 20 प्रतिशत है।
- लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस खाड़ी देशों से आयात की जाती है।
- खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय लगभग 40 बिलियन डॉलर की धनराशि भी प्रेषण के माध्यम से भारत भेजते हैं।
- सऊदी अरब भारत को हाइड्रोकार्बन आपूर्ति करने वाला इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख देश है।
- भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये समझौता किया है।



- खाड़ी क्षेत्र हमारी विकास की अहम जरूरतों जैसे ऊर्जा संसाधन, कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिये निवेश के मौके और लाखों लोगों को नौकरी के भरपूर अवसर देता है।

- जहाँ ईरान हमें अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुँचने का रास्ता उपलब्ध कराता है, तो वहीं ओमान हमें पश्चिम हिंद महासागर तक पहुँचने की राह दिखाता है।

भारत के लिये भावी अवसर

- भारतीयों के लिये भले ही इस समय खाड़ी देशों में नौकरी के अवसर कम हो रहे हों या भारत सरकार को यहाँ से विदेशी मुद्रा कम मिल रही हो, लेकिन इन देशों में अर्थव्यवस्था के बदलाव की प्रक्रिया भारत के लिये बड़ा मौका भी है।
- इन देशों ने दूसरे देशों में निवेश के लिये बड़े-बड़े फंड बनाए हैं। भारत पहला काम तो यही कर सकता है कि बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये खाड़ी देशों से ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को यहाँ आमंत्रित करे।
- विजन-2030 के अंतर्गत सऊदी अरब की एक बड़ा वैश्विक निवेशक बनने की भी योजना है। भारत अगर सऊदी अरब के इस लक्ष्य में सहयोगी बनता है और भारी निवेश हासिल कर पाता है तो इससे देश के बंदरगाहों, सड़कों और रेल नेटवर्क का कायाकल्प हो सकता है।
- सऊदी अरब व रूस के बीच वार्ता के विफल होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बनी हुई है, इनके निकट भविष्य में ऊपर जाने के आसार भी नहीं लग रहे हैं। यह ऐसा मौका है जब भारत अपना चालू घाटा कम कर सकता है और इससे जो बचत होगी उसे आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में लगाया जा सकता है।

आगे की राह

- भारत को खाड़ी देशों के साथ तालमेल के लिये नए चालकों को खोजने की आवश्यकता है। यह खोज स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के साथ शुरू हो सकती है और धीरे-धीरे दवा अनुसंधान और उत्पादन, पेट्रोकेमिकल, भारत में बुनियादी ढाँचे के निर्माण और तीसरे देशों में कृषि, शिक्षा और कौशल के साथ-साथ अरब सागर में निर्मित द्विपक्षीय मुक्त क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकती है।
- अंततः यदि भारत, खाड़ी सहयोग परिषद के मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल हो जाता है, तो निश्चित ही ऐसे झटकों से बचने के लिये भारत और खाड़ी देशों के आर्थिक संबंधों में पर्याप्त विविधता लाई जा सकती है।
- भारत को इस संकट से बाहर निकलने के बाद अपनी 'एक्ट वेस्ट नीति' को विस्तार देना चाहिये।





गांव से शहर की ओर बढ़ता पलायन: एक चिंता का विषय

— दावेर हुसैन
उप प्रबंधक



एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना पलायन कहलाता है। लेकिन यह पलायन की प्रवृत्ति कई रूपों में देखी जा सकती है जैसे एक गांव से दूसरे गांव में, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव। परन्तु भारत में “गांव से शहरों” की ओर पलायन की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा है। एक तरफ जहां शहरी चकाचौंध, भागमभाग की जिन्दगी, उद्योगों, कार्यालयों तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर परिलक्षित होते हैं। शहरों में अच्छे परिवहन के साधन, शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य सेवाओं ने भी गांव के युवकों, महिलाओं को आकर्षित किया है। वहीं गांव में पाई जाने वाली रोजगार की अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव ने लोगों को पलायन के लिए प्रेरित किया है।

बीते कुछ सालों में गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने वाले ग्रामीणजनों की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। इससे कई प्रकार के असंतुलन उत्पन्न हो रहे हैं। शहरों पर आबादी का दबाव बुरी तरह बढ़ रहा है, वहीं गांवों में कामगारों की कमी का अनुभव किया जाने लगा है। तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण और शहरों की जनसंख्या में हो रही बढ़ोत्तरी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रमुख चुनौतियों के रूप में देखा जाता रहा है। शहरी आबादी में वृद्धि पानी की मांग और खपत को बढ़ाती है। विशेष रूप से झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों के लिए पेय जल की आपूर्ति करना एक चुनौती बन जाता है। पीने के पानी तक सीमित पहुंच से गंभीर स्वास्थ्य खतरे और जनता में पानी से उत्पन्न बीमारियों का आसान प्रसार हुआ है।

गांव से शहर की ओर बढ़ते पलायन के कारण आज देश के सम्मुख शहरीकरण का प्रबंधन एक जटिल समस्या है। शहरीकरण ग्रामीण क्षेत्र से शहरी निवास की ओर, जनसंख्या पलायन को संदर्भित करता है। यह मुख्य रूप से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कस्बों और शहरों का गठन होता है, क्योंकि अधिकतर लोग केंद्रीय क्षेत्रों में रहना और काम करना शुरू करते हैं। शहरों की चकाचौंध आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिये हमेशा से ही आकर्षण का विषय रही है और वे प्रायः इस आकर्षण के वशीभूत होकर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, जहाँ पहले से ही लोगों की भरमार होती है। वहाँ पहुंच कर वे भी आवास, जलापूर्ति, जलमल निकासी, स्थानीय परिवहन और रोजगार के अवसरों जैसी पहले से ही मौजूद गंभीर समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। शहरी गरीब अनेक जटिल रोगों सहित कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के भी शिकार होते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण सरकारों की अधिकांश बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता पर

भारी दबाव पड़ता है। अवैध रूप से बसने वाली स्लम बस्तियाँ शहरों का अविभाज्य हिस्सा बन चुकी हैं। इनमें रहने वाले लोगों को पेयजल और कचरे के निपटान जैसी बुनियादी सुविधाएँ तक नहीं मिल पातीं।

हमारे देश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निरन्तर घट रहा है जिसके पीछे मुख्य कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन है। गांवों से शहरों की ओर पलायन का सिलसिला कोई नया मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन कारणों और परिस्थितियों को दूर करने की दिशा में प्रयास नहीं किए हैं। ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र का विकास और ग्रामीण भारत से गरीबी और भूखमरी हटाना है।

गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने के लिए पूर्व में भी सरकार ने अनेक प्रावधान किए हैं और निरन्तर प्रावधान किये जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले। उन्हें गांव में ही शहरों जैसी आधारभूत सुविधाएं मिले। “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार दिलाने का एक प्रावधान है। इस योजना के लागू होने से कुछ हद तक ग्रामीणों का पलायन रुका है। लोगों को घर बैठे काम मिल रहा है और निर्धारित मजदूरी भी।

गांवों में शहरों की तुलना में काफी कम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। रोजगार और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं की कमी के अलावा गांवों में बिजली, स्वच्छता, आवास, चिकित्सा, सड़क, संचार जैसी अनेक सुविधाएं या तो होती ही नहीं हैं और यदि होती हैं तो बहुत कम। स्कूलों, कॉलेजों तथा प्राथमिक चिकित्सालयों की हालत बहुत खस्ता होती है। गांवों में बिजली पहुंचाने के अनेक प्रयासों के बावजूद नियमित रूप से बिजली उपलब्ध नहीं रहती।

गांवों से पलायन के प्रमुख कारण

शहरों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, रोजगार और मौलिक सुविधाओं का अभाव, शिक्षा और साक्षरता का अभाव और नगरीय चकाचौंध जैसे कारण गांवों से बढ़ते पलायन के कुछ प्रमुख कारणों में से हैं।

शहरों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

औद्योगिकीकरण शहरीकरण की पहली सीढ़ी है। आजादी के बाद भारत ने देश के



आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के इरादे से छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना का अभियान चलाया। ये सभी उद्योग शहरों में लगाए गए जिसके कारण ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश एवं आजीविका के लिए शहरों में पलायन करना आवश्यक हो गया।

रोजगार और मौलिक सुविधाओं का अभाव

गांवों में कृषि भूमि का लगातार कम होते जाना, जनसंख्या बढ़ने, और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों-नगरों की तरफ जाना पड़ रहा है। गांवों में मौलिक आवश्यकताओं की कमी भी पलायन का एक बड़ा कारण है। गांवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आवास, सड़क, परिवहन जैसी अनेक सुविधाएं शहरों की तुलना में बेहद कम हैं। इन बुनियादी कमियों के साथ-साथ गांवों में भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के चलते शोषण और उत्पीड़न से तंग आकार भी बहुत से लोग शहरों का रुख कर लेते हैं।

शिक्षा और साक्षरता का अभाव

शिक्षा और साक्षरता का अभाव पाया जाना ग्रामीण जीवन का एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है। गांवों में न तो अच्छे स्कूल ही होते हैं और न ही वहां पर ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिल पाते हैं। इस कारण हर ग्रामीण माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए शहरी वातावरण की ओर पलायन करते हैं। हालांकि सरकारी एवं निजी तौर पर आज ग्रामीण शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन जब रोजगार प्राप्ति एवं उच्च-स्तरीयता की बात आती है तो ग्रामीण परिवेश के बच्चे शहरी बच्चों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। ग्रामीण बच्चे अपने माता-पिता के साथ गांव में रहने के कारण माता-पिता के परम्परागत कार्यों में हाथ बंटाने में लग जाते हैं जिससे उन्हें उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ नहीं हो पाते हैं। इस कारण माता-पिता उन्हें शहर में ही दाखिला दिला कर शिक्षा देना चाहते हैं और फिर छात्र शहरी चकाचौंध से प्रभावित होकर शहर में ही रहने के लिए प्रयास करता है जो पलायन का एक प्रमुख कारण है।

नगरीय चकाचौंध

भारत में गांवों से शहर की ओर पलायन की प्रवृत्ति बेहद ज्यादा है। जहां गांव में विद्यमान गरीबी, बेरोजगारी, कम मजदूरी, मौसमी बेरोजगारी, जाति और परम्परा पर आधारित सामाजिक रुढ़ियां, अनुपयोगी होती भूमि, वर्षा का अभाव एवं प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि कारणों ने न सिर्फ लोगों को बाहर भेजने की प्रेरणा दी वही शहरों ने अपनी चकाचौंध सुविधाएं, युवाओं के सपने, रोजगार के अवसर, आर्थिक विषमता, निश्चित और अनवरत अवसरों में आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार पुरुष और महिलाओं के एक बड़े समूह ने गांव से शहर की ओर पलायन किया है।

गांवों से पलायन रोकने के सुझाव

रोजगार के अवसर और मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराना गांव से पलायन को रोकने में कारगर साबित हो सकता है।

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना

अभी भी ग्रामीण युवा के लिए रोजगार का प्रमुख क्षेत्र कृषि ही है, लेकिन सामान्य स्थिति में भी कृषि से वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए ग्रामीण युवाओं को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। आय का कोई जरिया नहीं होने के कारण ग्रामीण युवा शहर की ओर रोजगार की तलाश में जाता है। आज कल खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम होने से भी युवा खेती से दूरी बना रहे हैं। इसके साथ ही खेती का रकबा कम होता जा रहा है। परिवार की संख्या बढ़ने से हर व्यक्ति के हिस्से में कम खेती आ रही है, जो उसकी जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है। सर्वप्रथम गांवों में रोजगार के अवसर निरंतरता के साथ उपलब्ध कराए जाए जिससे लोगों को आर्थिक सुरक्षा तो मिलेगी साथ ही वे स्वतः अपनी जीवनशैली में सुधार करेंगे।

मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिसमें, परिवहन सुविधा, सड़क, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाएं, विद्युत आपूर्ति, पेयजल सुविधा, रोजगार तथा उचित न्याय व्यवस्था आदि शामिल हैं। गांवों की दशा सुधारने के लिए शिक्षा का अधिकार जैसे कानून से इस समस्या के समाधान की आशा की जा सकती है। इस कानून से गांवों के स्कूलों की स्थिति, अध्यापकों की उपस्थिति और बच्चों के दाखिले में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इस कानून को लागू करके गांवों में शिक्षा का प्रकाश फैलाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वही असमानता, शोषण, भ्रष्टाचार तथा भेदभाव में कमी होगी जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जीवन बेहतर बनेगा।

निष्कर्ष

किसी एक जगह पर पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, खेती, स्वास्थ्य, रोजगार के समुचित संसाधन नहीं होंगे तो नतीजा पलायन के रूप में ही सामने आएगा। ऐसे में पलायन को रोकने के लिये कारणों का निवारण करना होगा, तब कही जाके ये समस्या हल होगी। इसके लिये सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे अन्यथा कुछ ही वर्षों में यह देश की एक बड़ी समस्या का कारक हो सकता है।





सोने का मोल



— मनोहर मिरयाल
उप महाप्रबंधक



सोना विश्व की एक बहुमूल्य धातु है। यह बहुमूल्य इसलिए है क्योंकि यह दुर्लभ है और इसमें क्षय न होने की गुणवत्ता है। ऐतिहासिक रूप से प्रमुख मुद्राओं को सोने से आंका जाता था। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद यह बदल गया। उसके बाद से सोने ने विनिमय के साधन के रूप में सभी प्रमुख मुद्राओं को पीछे छोड़ दिया। इस बेहतर प्रदर्शन को स्वर्ण मानक की समाप्ति के तुरंत बाद खासतौर पर और उसके बाद जब प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं के डिफॉल्ट होने पर चिन्हित किया गया था। मूल्य के अनंतिम संग्रह के रूप में सोना सभी प्रमुख वित्तीय एवं भौतिक आस्तियों के बीच बाजार की गतिविधियों का एक प्रतिबिंब है।

स्वर्ण—सांख्यिकी

विश्व भर में जमीन के ऊपर लगभग 197,576 टन सोना मौजूद है जिसकी कीमत 9.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। खनन उत्पादन से इसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 3,500 टन जुड़ रहे हैं जो वार्षिक तौर पर 1.8 प्रतिशत की वृद्धि के बराबर है। वैश्विक तौर पर, केंद्रीय बैंक और बहुपक्षीय एजेंसियां जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटमलमेंट्स के पास लगभग 34,000 टन सोना (सोने के जमीन के ऊपर के कुल संग्रह का 17 प्रतिशत) आरक्षित आस्ति के रूप में है। वर्ष 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद से केंद्रीय बैंकों का सोने के संबंध में व्याहार मौलिक रूप से बदला है। मांग तेजी से बढ़ी है और वर्ष 2010 से केंद्रीय बैंकों वार्षिक आधार पर सोने के शुद्ध खरीदार रहे हैं। भारत लगभग 850 टन सोने के वार्षिक मांग के साथ चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है जो धरती पर संग्रहित सोने का निवास है। भारत का जमीन के ऊपर संग्रहित सोने का स्तर काफी बहस का मुद्दा है जो अनुमानतः 15,000 से 25,000 टन सोना है। भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास 620 टन सोना है।



(स्रोत: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल)

गोल्ड—रिटर्न

फेडरल रिजर्व द्वारा जनवरी, 2019 में मौद्रिक नीति पर यू-टर्न लेने के बाद से 12 प्रतिशत की उछाल दर्ज करते हुए पिछले 15 महीने के दौरान सोने की कीमतों में खासी वृद्धि देखी गई है। सोने की कीमतों काफी तेजी से बढ़ी हैं, रिटर्न के साथ इसने अन्य प्रमुख आस्तियों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि सुरक्षा और चलनिधि आरक्षित निधि प्रबंधकों के लिए सर्वोपरि हैं लेकिन रिटर्न भी महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 1971 से सोना अमेरिकी डॉलर में औसतन लगभग 10 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न प्रदान कर रहा है। पिछले 50 वर्षों में सोने की कीमत कैसे बढ़ी है इसे नीचे दर्शाया गया है। सोने ने इक्विटी के बाद सबसे बेहतर रिटर्न दिया है।

सोने की कीमत का गणित

सोना स्टॉक, बॉण्ड्स एवं व्यापक फोर्टफोलियो के लिए एक स्पष्ट पूरक है। धन भंडार, प्रणालीगत जोखिम, मुद्रा अवमूल्यन और मुद्रास्फीति पर बचाव, सोने का





ऐतिहासिक तौर पर बेहतर जोखिम प्रबंधित रिटर्न, सकारात्मक रिटर्न देने और बाजार तनाव के वक्त देयताओं को पूरा करने हेतु चनलिधि प्रदान करने का बेहतर पोर्टलियो रहा है। ऐसी धारणा है कि त्योंहारी सीजन, शादी के मौसम के दौरान सोने की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन असलियत यह है कि सोने की कीमत वैश्विक मांग, आपूर्ति और निवेशक समुदाय की जोखिम की भूख के आधार पर निर्धारित होती है।



सोना प्रति ट्रॉय औंस भाव लगाई जाती है। प्रत्येक ट्रॉय औंस सोने की कीमत मुद्रा (अधिकतर डॉलर) में अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों पर बेची जाती है। इसके बाद यह विश्व भर के देशों की संबंधित मुद्राओं में परिवर्तित होती है। गोल्ड फ्यूचर्स और स्पॉट गोल्ड भी होते हैं। स्पॉट गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भुगतान के आधार पर सोने की भौतिक डिलीवरी की जा सकती है। सामान्य दिनों में, शिकागो मर्केटाइल एक्सचेंज (सीएमई) डिलीवरी मंत्र सही तरीके से काम कर रहा होता है तो गोल्ड फ्यूचर्स और भौतिक स्वर्ण बाजार के बीच अंतर आमतौर पर बहुत कम होता है। फ्यूचर्स और भौतिक कीमतों के बीच अंतर बढ़ गया है क्योंकि कोविड-19 के कारण हालिया यात्रा प्रतिबंध के कारण अमेरिका में लदान में व्यवधान के कारण चिंताएं बढ़ गई हैं।

भौतिक सोने के कीमत की गणना को बेहतर तरीके से समझने के लिए, अनुमानित कीमतों पर एक चित्र नीचे दी गई है।

मौजूदा स्पॉट गोल्ड प्राइस: 31.1035 ग्राम के लिए 1704 अमेरिकी डॉलर, अतः प्रति ग्राम कीमत $1704 / 31.1035 = 54.7848$ अमेरिकी डॉलर है।

मौजूदा अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया स्पॉट दर 75.66 है। अतः 1 ग्राम सोने की कीमत भारतीय रूपए $75.66 * 54.7848 = 4145.02$ में है। उसके ऊपर 12.5 प्रतिशत आयात शुल्क 518.13। उसके ऊपर 3 प्रतिशत जीएसटी=124.35। 1 ग्राम सोने की कुल आयातित कीमत 4787.50 है। 10 ग्राम सोने की कीमत 47875 रूपए है।

इसके अतिरिक्त यदि आप सोने के व्यापारी से खरीद रहे हैं तो वे अपना हैंडलिंग चार्ज भी जोड़ सकते हैं।

अतः उपरोक्त गणना को देखते हुए, भारत में सोने की कीमत अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर/भारतीय मुद्रा विनिमय, सीमा शुल्क और जीएसटी में अंतर्राष्ट्रीय

स्पॉट गोल्ड कीमत से संबंधित है। उच्च स्थानीय त्योंहारी मांग या शादी का मौसम ही स्थानीय व्यापारियों द्वारा लगाए जाने वाले हैंडलिंग चार्ज को बदल सकता है। चीन और भारत के सबसे बड़े बाजार के उपभोक्ताओं के खरीदने का निर्णय सोने के स्थानीय कीमत पर आधारित होता है। ये क्षेत्रीय कीमतें प्रायः सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत से भिन्न होती हैं जो इन बाजारों के स्थानीय गतिशीलता को दर्शाते हैं।

भावी परिदृश्य

काफी लंबे समय के लिए अमेरिका और अधिकतर जी-10 अर्थव्यवस्थाओं में दरें शून्य या उससे नीचे रहने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्यों से नीचे रखने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हालिया सर्वे में केंद्रीय बैंकों के अपने आरक्षित निधियों में सोने को जोड़ने के अन्य उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है। चूंकि आर्थिक उत्पादन तेजी से कम हुआ है, राजकोषीय व्यय में वृद्धि हुई है और केंद्रीय बैंक का तुलना पत्र दोगुना हुआ है, वैध मुद्राएं दबाव में हैं तो निवेशकों का ध्यान सोने पर होगा। विश्लेषकों को मानना है कि हाल में सोने और इक्विटी के बीच संबंध सकारात्मक हुए हैं। सकारात्मक इक्विटी/सोने के संबंध इस बात के संभावित संकेत हैं कि इक्विटी बाजार पूरी तरह नीचे न जाए और सोने के बाजार को आगे तेजी से बढ़ने का मौका मिले।

यदि केंद्रीय बैंक जीडीपी संविदाओं के तौर पर अपने तुलना पत्र को डबल करते हैं तो सोने की कीमतें और बढ़ेंगी। इस प्रकार कुछ व्यापारियों ने अपने मध्यम से दीर्घावधि स्वर्ण लक्ष्य (1704 के मौजूदा स्तर) को 2,000 डॉलर से बढ़ाकर 3,000 डॉलर प्रति औंस कर दिया है। हालांकि, एक मजबूत डॉलर पृष्ठभूमि ने वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव को घटाया है और भारत एवं चीन में आभूषण की मांग में कमी सोने के लिए विपरीत परिस्थितियां बनाए रख सकता है। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि कुछ केंद्रीय बैंकों ने अपने राजकोषीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सोने को सुरक्षित अभिरक्षा कक्ष से निकालकर अपने धारिता के भारी मात्रा में बिक्री भाग में ले गए हैं।

एक निवेशक को क्या करना चाहिए?

निवेश सलाहकार सुझाव देते हैं कि चूंकि सोने को सुरक्षित ठिकाना, पोर्टफोलियो में विविधता लाने वाला, ऋणात्मक ब्याज दर बस्टर, जोखिम, तनाव एवं मंदी के विरुद्ध सही बचाव माना जा सकता है, निवेशकों को सोने को अपने धारित निवेश का एक हिस्सा बनाए रखने के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक महीने सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स जारी करती है जो 2.5 प्रतिशत का कूपन दर भी रखेगा। कई म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ ऑफर करते हैं। हालांकि निवेशक को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इस धातु का बहुत अधिक उत्पादक उपयोग नहीं है और बिक्री से अधिक क्रय की स्थिति में सोने की कीमतों में गिरावट पोर्टफोलियो के मूल्य को क्षति पहुंचा सकता है। अतः कोई भी अपने पोर्टफोलियो में सोने के अधिकतम प्रतिशत को रखने के बारे में सोच सकता है।





शहरीकरण

— सुभाष
क्षेत्रीय प्रबंधक



शहरीकरण कृषि पर आधारित वैयक्तिकों या जन समूह वाले परिदृश्य के मुख्यरूप से व्यापार एवं वाणिज्यिक तथा निर्माण से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े लोगों के पर्यावास में बदलने की प्रक्रिया है। सामान्य शब्दों में कहें तो ये समाज की जीवनशैली में एक बदलाव है जिसमें प्रवासी और स्थायी निवासी दोनों शामिल हैं। शहरीकरण के कारण आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य के बीच हितों का टकराव देखने को मिला है।

वर्तमान शहरी परिदृश्य राष्ट्र की घरेलू नीतियों एवं बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा आंशिक तौर आकार दिए गए पूर्व के शहरीकरण की ही अवधारणा है जिसमें भूगोल आधारित राजनीति हेतु स्वार्थ निहित है। किंग्सले डेविस ने शहरीकरण को मानव बसावट के फैले हुए पैटर्न के शहरी केंद्रों में एक संकेंद्रण में बदलने की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है (डेविस 1962)।

शहरीकरण की जड़ों का पता सबसे पहली बार 5000 साल पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जा सकता है जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जोकि अब पाकिस्तान में हैं और गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब राज्य में स्थिति लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, कलिबंगा, रोपड़ आदि जैसे अन्य शहरों शामिल हैं। सड़कों की योजनाबद्ध लेआउट, बड़े आकार की जल निकासी प्रणाली और मजबूत किले सिंधु घाटी सभ्यता की खास विशेषताएं हैं। यद्यपि शहरीकरण एक सतत प्रक्रिया है, फिर भी यह स्थानिक एवं अस्थायी स्तर तक ही सीमित है। यदि हम शहरीकरण के इतिहास की बात करें तो इस पर प्रकाश औद्योगिक क्रांति के बाद 18वीं शताब्दी में ही देखने को मिलती है जहां शहर आर्थिक केंद्रों के रूप में उभरे।



टाउन प्लानिंग रिव्यू में प्रकाशित वी. गॉर्डन चाइल्ड के लेख "दी अर्बन रिवोल्यूशन" में शहरों या शहरी केंद्रों की दस विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया है जैसे कि सघन आबादी; शहरी आबादी की विविध रचना और कार्य (कृषि संबंधी एवं गैर-कृषि

संबंधी), शासन करने वाले कुलीन वर्ग को किसान वर्ग द्वारा कृषि उत्पाद का दसवां भाग या कर का भुगतान; कुलीन वर्ग के हाथ में सामाजिक अधिशेष के संकेंद्रण को दर्शाते स्मारकीय सामाजिक भवन; शासक किसानों द्वारा उगाए गए अधिक अनाज



पर जीतें हैं और उसके बदले वे उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं; योजना निर्माण एवं संगठन; शासकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता के तौर पर रिकॉर्ड रखने की प्रणाली का आविष्कार; सटीक एवं भविष्य सूचक विज्ञान जैसे कि अंकगणित, ज्यामिति एवं खगोल विज्ञान के विकास हेतु लेखन की खोज; कैलेंडर का निर्माण; कलात्मक अभिव्यक्ति की परिष्कृत शैली; नियमित विदेशी या लंबे दूरी का व्यापार; और विशेषज्ञ कारीगरों के लिए सुरक्षा एवं कच्चा माल हेतु राज्य प्रावधान ने उन्हें व्यवस्थित जिंदगी जीने में सक्षम बनाया (चाइल्ड 1950, 1-17)।

बड़े शहरों का उदय और उनका पतन एक निरंतर घटने वाली घटना है। ह्वेन त्सांग (चीनी यात्री) ने सि-यू-की में शहरों के उदय और विघटन के बारे में उल्लेख किया जहां एक ओर कपिलवस्तु, श्रावस्ती, रामग्राम, वैशाली कुशीनगर और कौशांबी जैसे शहर अपने पतन की ओर थे तो वहीं थानेश्वर, कान्यकुब्ज और वाराणसी जैसे शहर संपन्न थे। इसी प्रकार 9वीं शताब्दी में भारत आए कुछ अरब और फारसी आगंतुक जैसे कि 851 ईस्वी में आए सुलेमान और फारसी इतिहासकार एवं भूगोलशास्त्री इब्न अल-फकीह अल अब्दानी की किताब अल-बुलदान में कुछ शहरों के बारे में उल्लेख किया गया है। अल-बरूनी ने अपनी किताब में शहरों के पतन और उनके विलुप्त होने के बारे में भी लिखा है।

यह देखा गया है कि बहुत से शहरी केंद्रों का उदय और पतन बड़े राज्यों, व्यापार के उदय और पतन, कृषि पैटर्न में बदलाव, सामाजिक संघर्ष, तबाही/प्रकाृतिक आपदा या महामारी से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक शहरी ग्रामीण परिवर्तन लोगों के लिए आजीविका की खोज में गांव से शहर और शहर से गांव की ओर अस्थायी प्रवास के कारण होता है। जब भी कोई बदलाव हुआ है तो अर्थव्यवस्था में भुगतान का हमेशा



अधिशेष बना रहा है। हालांकि आर्थिक बदलाव या परिवर्तन हमेशा ग्रामीण शहरी परिवर्तन का हिस्सा रहा है। कई बार ऐसा हुआ है जब कुछ शहरों पर शहरी पतन का सिद्धांत लागू नहीं हुआ है क्योंकि ये व्यापार, निर्माण का केंद्र, राजनैतिक केंद्र, पवित्र या औपचारिक केंद्र और इन सबसे बढ़कर स्थानिक या स्थितिजन्य समानता के तौर पर कई भूमिकाएं अदा करते हैं।

विश्व भर में पुनर्वास के तीन मुख्य कारण हैं: संघर्ष, प्राकृतिक आपदा एवं विकास। रचनात्मक परिदृश्य में पुनर्वास या प्रवास सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव वाले विकास को प्रेरित करता है और सामान्य तौर पर ये निम्न में वर्गीकृत होता है: विकास-प्रेरित विस्थापन और पुनर्वास (डीआईडीआर), संघर्ष-प्रेरित विस्थापन और पुनर्वास (सीआईडीआर), एवं प्राकृतिक आपदा-प्रेरित विस्थापन और पुनर्वास (एनआईडीआर) (मुग्गा, 2008)।

विश्व भर में विकास प्रेरित विस्थापन के सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं: शहरी विकास अवसंरचना निर्माण, बहु-उद्देशीय बांधों का निर्माण, कृषि विस्तार, खनन गतिविधियां जैसे कि कोयला, जनसंख्या पुनःवितरण योजनाएं आदि। विश्व भर में विकास-प्रेरित विस्थापन का मुख्य कारण अवसंरचनाओं का विस्तार एवं पुनर्वास है और इस प्रवृत्ति में तेजी आने की संभावना है (कोर्टलैंड रोबिन्सन, 2003)।

अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह देखा गया है कि डीआईडीआर परिदृश्य के उद्भव के कारण एक नए निम्न एवं मध्यम आय समूह का उदय हुआ है जिनका जोर वहनीयता पर है।

जनगणना : संक्षिप्त इतिहास

अभी तक का सबसे बड़ा तकनीकी एवं पद्धतिगत लाभ महान जेम्स प्रिंसेप, एफआ.एस द्वारा इलाहाबाद नगर (1824) एवं बनारस शहर (1827-28) और हेनरी वाल्टर्स द्वारा डक्का शहर (1830) द्वारा की गई 'जनगणनाएं' हैं। वाल्टर्स द्वारा की गई जनगणना शायद भारतीय शहर की पहली संपूर्ण जनगणना थी जिसमें



जनसंख्या को लिंग और वृहत आयु वर्ग, मकानों एवं संरचनाओं को भवन निर्माण विशेषताओं, मंजिलों, अन्य सुविधाओं, किराएदार एवं कैंदियों और पुनः जनसंख्या को कम से कम 132 जाति-व्यवसाय में वर्गीकृत किया गया।

हालांकि संपूर्ण भारत में समान आधार पर पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में की गई जिसमें किसी भी तुलनीय जनसंख्या के लिए सबसे पूर्ण एवं निरंतर जनसांख्यिकीय रिकार्ड उपलब्ध कराई गई। इसके बाद से नियमित तौर पर हर दस साल के अंतराल पर जनगणना की जा रही है। इन जनगणना में जनसंख्या घनत्व के संबंध में जनसंख्या का वितरण, भौतिक समूह, शहरी एवं ग्रामीण आबादी, आवास स्थिति, प्रवास, रोजगार, नस्लीय वितरण, साक्षरता, धर्म, शारीरिक विकृति, लिंग, नागरिक स्थिति आदि पर जानकारी इकट्ठा की जाती है।

भारतीय संदर्भ में स्वतंत्रता पश्चात हमने ये देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र शहरीकरण के कारण शहरी जनगणना/जनसंख्या में और शहरी मानसिकता एवं क्षेत्र के अन्य ग्रामीणकरण पर भी वृद्धि हुई है जिसमें एक नए वर्ग का उदय हुआ है जो ग्रामीण क्षेत्र में जाना पसंद कर रहा है और विशुद्ध ग्रामीण स्थल में शहरी गतिविधियां कर रहा है। हो सकता है कि यह अस्थाई घटना या ग्रामीण पर्यटन या अधिक जनसंख्या या पर्यावरणीय गिरावट के कारण शहरी स्थल के गिरावट के कारण जीवन शैली में बदलाव हो।

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या (मीलियन में)	शहरी जनसंख्या (मीलियन में)	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	नगरों एवं शहरों की संख्या	दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या
1901	238.3	25.8	10.83	1,916	1
1911	252.1	25.9	10.27	1,908	2
1921	251.3	28.1	11.18	2,048	2
1931	278.9	33.5	12.01	2,220	2
1941	318.6	44.2	13.87	2,427	2
1951	361.0	62.4	17.29	3,060	5
1961	439.2	78.9	17.96	2,700	7
1971	548.1	109.1	19.91	3,126	9
1981	683.3	159.4	23.33	4,029	12
1991	846.3	217.6	25.71	4,689	23
2001	1027.1	285.4	27.78	5161	35
2011	1210.2	377.1	31.16	7935	53
2021					

स्रोत: भारत की जनगणना 1901-2011





19वीं सदी के शुरुआती दशकों में शहरीकरण की प्रक्रिया 1890 के भयंकर अकाल और बीसवीं सदी के पहले दशक में प्लेग और 1918-19 में इन्फ्लूएंजा महामारी के द्वारा प्रभावित थी। वर्ष 1930 से जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, हालांकि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शहरीकरण की गति कार्य संबंधी लिंग आधारित प्रवास एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, शहरी अवसंरचना के संबंध में मानव पूंजी निर्माण सूचकांक के कारण तेज हुई।

वर्ष 2011 की जनगणना में स्वतंत्रता पश्चात पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि अधिक थी। शहरीकरण का स्तर वर्ष 2001 की जनगणना के 27.78 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2011 की जनगणना में 31.16 प्रतिशत हो गई। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 72.19 प्रतिशत से घटकर 68.84 प्रतिशत हो गई। जनसंख्या के समग्र वृद्धि दर में गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि दर में जबरदस्त गिरावट के कारण हुई जबकि शहरी क्षेत्रों में वृद्धि दर लगभग समान रही।

शहरीकरण में शहरों में वृद्धि में देखी गई सामान्य परिघटना को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है: आंतरिक वृद्धि (न्यूनतम प्रवास के साथ), बाहरी वृद्धि (न्यूनतम प्रजनन क्षमता के साथ), विस्फोट (उच्च प्रजनन क्षमता और प्रवास के साथ) और स्थिरता (निम्न प्रजनन क्षमता और प्रवास के साथ)। जनसांख्यिकी परिवर्तन अधिकतर एकतरफा परिवर्तन होता है जो उच्च से निम्न प्रजनन क्षमता दर पर होता है जबकि जबकि शहरों में प्रवास दर निम्न से उच्च और इसका उलट हो सकता है। ऐसे योजनाबद्ध तरीके जनसांख्यिकी परिवर्तन से गुजर रहे समाजों में शहर की वृद्धि को समझने के लिए उपयोगी हैं क्योंकि इसमें प्रजनन दरों में काफी विविधता होती है।

भारतीय जनगणना 2011

शहर की परिभाषा:

2011 की भारत की जनगणना हेतु शहरी क्षेत्र की परिभाषा निम्नानुसार है;

- नगरपालिक, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित शहरी क्षेत्र समिति आदि वाले सभी स्थान
- सभी अन्य स्थान जो निम्नलिखित मानदंड को पूरा करते हैं:
 - 5,000 की न्यूनतम जनसंख्या;
 - कम से कम 75 प्रतिशत पुरुष कामकाजी जनसंख्या गैर-कृषि आधारित गतिविधि में कार्यरत हों; और
 - जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो।

शहरी इकाइयों की पहली श्रेणी को सांविधिक नगर के तौर पर जाना जाता है। ये

नगर संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा कानून के अंतर्गत अधिसूचित होते हैं और इनमें नगर निगम, नगर पालिक, नगर समितियों जैसे स्थानीय निकाय होते हैं फिर चाहे 31 दिसंबर, 2009 को माने गए उनकी जनसांख्यिकी विशेषता कुछ भी हो। उदाहरण: वड़ोदरा (नगर निगम), शिमला (नगर निगम) आदि।

नगरों के दूसरी श्रेणी (उपरोक्त मद के अनुसार) को जनगणना नगर के तौर पर जाना जाता है। इन्हें जनगणना 2001 की डाटा के आधार पर चिन्हित किया गया है।

शहरी समूह (यूए): एक शहरी समूह एक निरंतर शहरी फैलाव है जिसमें एक शहर और उसके आसपास के क्षेत्र का निर्माण करता है, या दो या दो से अधिक समीपवर्ती शहर जिनमें ऐसे शहरों के आसपास के क्षेत्र शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक शहरी समूह में कम से कम एक सांविधिक शहर शामिल होते हैं और इसकी आबादी (सभी घटकों को मिलकर) 2001 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। विविध स्थानीय परिस्थितियों में, कुछ समान अन्य संयोजन थे जिन्हें शहरी समूह के तौर पर माना गया है जो समीपता के बुनियादी शर्तों को पूरा करते हैं। उदाहरण: ग्रेटर मुंबई यूए, दिल्ली यूए आदि।

समीपवर्ती क्षेत्र: समीपवर्ती क्षेत्र एक व्यवहार्य इकाई होती है जैसे कि एक गांव या एक छोटा गांव या गणन ब्लॉक जो ऐसे गांव या छोटे गांव से बने हों और अपनी सीमाओं एवं स्थल के रूप में स्पष्ट तौर पर चिन्हित हों। इसके कुछ उदाहरण हैं रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय कैंपस, बंदरगाह क्षेत्र, सेना कैंप आदि जो सांविधिक शहर से सांविधिक सीमा के बाहर हों लेकिन शहर के समीपवर्ती गांव या गांवों के राजस्व सीमा के भीतर आते हों। उदाहरण: मध्य रेलवे कॉलोनी, त्रिवेणी नगर (एन.ई. सी.एस.डब्ल्यू.) आदि। ऐसे सभी नगर अपने समीपवर्ती क्षेत्रों के साथ एक एकीकृत शहरी क्षेत्र के रूप में माने गए हैं और 'शहरी समूह' के तौर पर नामित किए गए हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना में, 475 स्थान 981 समीपवर्ती क्षेत्रों के साथ शहरी समूह के तौर पर चिन्हित किए गए हैं जिनकी संख्या वर्ष 2001 की जनगणना में 384 स्थान के साथ 962 समीपवर्ती क्षेत्र थी।

शहरी समूह/नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों की संख्या:

नगर/शहरी समूह/समीपवर्ती क्षेत्र के प्रकार	नगरों की संख्या	
	2011 जनगणना	2001 जनगणना
सांविधिक नगर	4,041	3,799
जनगणना नगर	3,894	1,362
शहरी समूह	475	384
समीपवर्ती क्षेत्र	981	962



वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 7,935 नगर हैं। पिछली जनगणना की तुलना में नगरों की संख्या बढ़कर 2,774 हो गई है। इनमें से कई नगर शहरी समूह के हिस्से हैं और शेष स्वतंत्र शहर हैं। देश में शहरी समूह/नगरों की कुल संख्या जिसने शहरी परिदृश्य का निर्माण किया है, 6166 है।



शहरी समूह/नगरों की जनसंख्या:

1. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल शहरी आबादी 377 मिलियन से अधिक है जो देश के कुल आबादी का 31.16 प्रतिशत है।
2. टीयर 1 शहरी समूह/नगर: शहरी समूह/नगरों को जनगणना में उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कम से कम 1,00,000 व्यक्तियों वाले शहरी समूह/नगरों को श्रेणी 1 शहरी समूह/नगर के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना में 468 ऐसे शहरी समूह/नगर हैं। 2001 की जनगणना में इसकी संख्या 394 थी।
3. 264.9 मिलियन लोग इन श्रेणी 1 शहरों में रहते हैं जोकि कुल शहरी आबादी का 70 प्रतिशत है। पिछली जनगणना की तुलना में इस अनुपात में काफी वृद्धि हुई है। शेष श्रेणी के शहरों में वृद्धि नाममात्र की रही है।
4. **दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी समूह/शहर:** टीयर 1 श्रेणी के 468 शहरी समूह/शहरों में से 53 ऐसे शहरी समूह/शहर हैं जिनकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के तौर पर चिन्हित ये शहर देश के प्रमुख शहरी केंद्र हैं। 160.7 मिलियन लोग (शहरी आबादी का 42.6 प्रतिशत) इन शहरों में रहते हैं। पिछली जनगणना से अभी तक 18 नए शहरी समूह/शहर को इस सूची में जोड़ा गया है।
5. **महानगर:** दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी समूह/शहरों में से तीन काफी बड़े शहरी समूह हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है और इन्हें महानगर के तौर पर जाना जाता है। ये हैं मुंबई यूए (18.4 मिलियन), दिल्ली यूए (16.3 मिलियन) और कोलकाता यूए (14.1

मिलियन)। देश का सबसे बड़ा शहरी समूह ग्रेटर मुंबई है जिसके बाद दिल्ली यूए आती है। कोलकाता यूए जिसकी स्थान 2001 की जनगणना में दूसरा था उसकी जगह दिल्ली आ गई है। महानगरों में जनसंख्या वृद्धि में पिछली दशक की तुलना में काफी कमी आई है। मुंबई यूए जिसकी जनसंख्या वृद्धि 1991 से 2001 के दौरान 30.47 प्रतिशत रिकार्ड की गई थी वो 2011-2011 के दौरान 12.05 प्रतिशत रिकार्ड की गई। इसी प्रकार दिल्ली यूए (2001-2011 में 52.24 प्रतिशत से घटकर 26.69 प्रतिशत) और कोलकाता (2001-2011 में 19.60 प्रतिशत से घटकर 6.87 प्रतिशत) में भी गिरावट देखी गई है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी):

सितंबर, 2015 में आम सभा ने सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 को अपनाया जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं। "कोई पीछे न छोटे" के सिद्धांत पर नए एजेंडा में सबके लिए सतत विकास प्राप्त करने हेतु समग्र दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है।

लक्ष्य:

- वर्ष 2030 तक सबके लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं किफायती आवास एवं बुनियादी सुविधाओं की पहुंच एवं मलिन बस्तियों का उन्नयन सुनिश्चित करना।
- वर्ष 2030 तक सबके लिए सुरक्षित, किफायती, पहुंच योग्य एवं मजबूत परिवहन प्रणाली तक पहुंच प्रदान करना, सड़क सुरक्षा में सुधार, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार खासतौर पर उन लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए जिनमें महिलाएं, टीयर 1 श्रेणी के बच्चे, दिव्यांगजन एवं वृद्ध लोग शामिल हैं।
- वर्ष 2030 तक भागीदारी हेतु समावेशी एवं सतत शहरीकरण एवं क्षमता का विस्तार करना, सभी देशों के लिए एकीकृत एवं सतत मानव बसावट नियोजन एवं प्रबंधन।
- विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासतों की सुरक्षा एवं रक्षा हेतु मजबूत प्रयास।
- वर्ष 2030 तक मृत्यु की संख्या और प्रभावित लोगों की संख्या को काफी हद तक घटाना और आपदाओं के कारण वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान को काफी कम करना जिसमें ध्यान गरीबों एवं मुश्किल हालात में फंसे लोगों की रक्षा करने पर होगा।
- वर्ष 2030 तक सुरक्षित, समावेशी एवं पहुंचयोग्य हरित एवं सार्वजनिक स्थल सबके लिए उपलब्ध कराना जिसमें खासतौर पर महिलाएं और बच्चे, वृद्ध लोग एवं दिव्यांगजन शामिल हैं।





- राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास नियोजन को मजबूत कर शहरी, अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय संबंध की सहायता करना।
- वर्ष 2020 तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेडाई ढांचा 2015-2030 के अनुसरण में विकसित एवं लागू सभी स्तरों पर समग्र जोखिम प्रबंधन, समावेशन, संसाधन दक्षता, न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूल, आपदा प्रतिरोध की दिशा में एकीकृत नीतियों एवं योजनाओं को अपनाकर एवं लागू कर शहरों एवं मानव बसावटों की संख्या को काफी हद तक बढ़ाना।
- स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर टिकाऊ एवं अनुकूल भवनों के निर्माण में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों की सहायता करना।

प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में यूएन-हैबीटेट एवं सहभागी महीने भर गतिविधियां, समारोह का आयोजन करते हैं और शहरी स्थायित्व पर परिचर्चा कर आयोजन करते हैं। इस वर्ष अक्टूबर की गतिविधियां 05 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस के साथ शुरू होगी।

विश्व पर्यावास दिवस का उद्देश्य हमारे शहरों एवं कस्बों की स्थिति एवं सबके पर्याप्त आवास के बुनियादी अधिकारी पर केंद्रित होता है। यह विश्व को यह भी याद दिलाता है कि हम सभी में अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावास दिवस का गठन वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संकल्प 40/202 के माध्यम से किया गया और वर्ष 1986 में पहली बार मनाया गया। यह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस 2020 का वैश्विक आयोजन इंडोनेशिया के सुराबाया शहर में किया जाएगा।

तीव्र शहरीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि पर्याप्त और किफायती आवास के निर्माण को पीछे छोड़ रहा है:

वर्ष 2000 से 2014 के बीच विश्वभर में स्लमों में रहने वाली शहरी आबादी के अनुपात में 20 प्रतिशत (20 प्रतिशत से घटकर 23 प्रतिशत) की गिरावट आई है। सकारात्मक प्रवृत्ति में हाल में गिरावट आई है और वर्ष 2018 में अनुपात बढ़कर 23.5 प्रतिशत हो गई है। स्लमों या अनौपचारिक बसावटों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1 बिलियन से अधिक हो गई है जिसमें 80 प्रतिशत योगदान इन तीन क्षेत्रों का है: पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया (370 मिलियन), उप-सहारा अफ्रीका (238 मिलियन) एवं मध्य तथा दक्षिण एशिया (227 मिलियन)।


अनुमान है कि वर्ष 2030 तक लगभग 3 बिलियन लोगों को पर्याप्त एवं किफायती आवास की जरूरत होगी। स्लम निवासियों की बढ़ती संख्या शहरीकरण और

जनसंख्या वृद्धि दोनों का परिणाम है जो नए किफायती आवास के निर्माण को पीछे कर रहे हैं। पर्याप्त आवास एक मानवाधिकार है और इसका नहीं होना शहरी इक्विटी एवं समावेशन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं आजीविका के अवसरों को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है। नवीकृत नीतिगत ध्यान एवं बढ़े हुए निवेशों को वर्ष 2030 तक सबके लिए किफायती एवं पर्याप्त आवास सुनिश्चित करने की जरूरत है।

बहुत से शहरों में वायु प्रदूषण अपरिहार्य स्वास्थ्य खतरा बना गया है:

वर्ष 2016 में शहरों में रहने वाले दस में नौ लोग प्रदूषित हवा को सांस में ले रहे थे— वह हवा जिसने प्रति क्यूबिक मीटर 10 माइक्रोग्राम के पीएम 2.5 के वार्षिक औसत स्तर हेतु डब्ल्यूएचओ वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों को पूरा नहीं किया। इन लोगों में से आधे से अधिक लोग दिशा-निर्देश मूल्य से कम से कम 2.5 गुणा अधिक वायु प्रदूषण स्तरों के संपर्क में आए। वर्ष 2010 से 2016 के बीच विश्व की आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए वायु गुणवत्ता खराब हो गई। मध्य एवं दक्षिण एशिया तथा सब-सहारा अफ्रीका वे दो क्षेत्र हैं जहां सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है।

निम्न एवं मध्यम आय वर्ग वाले देशों में 100,000 निवासियों से अधिक वाले 97 प्रतिशत शहरों की वायु गुणवत्ता ने उच्च आय वाले 49 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2016 के वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों को पूरा नहीं किया। यातायात, उद्योग, विद्युत उत्पादन, कचरा जलाने और रिहायशी ईंधन दहन से व्यापक वायु प्रदूषण सहित घरेलू वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों के लिए बड़ा खतरा है। 90 प्रतिशत से अधिक वायु प्रदूषण से जुड़े मौत निम्न और मध्यम आय वाले देश जो मुख्यतः एशिया और अफ्रीका से हैं, से संबंधित हैं।





भारत में आवास

वर्तमान में भारत में लगभग 34 करोड़ लोग शहरों में रह रहे हैं और अगले 20 वर्षों में इनकी संख्या लगभग 60 करोड़ होने की संभावना है। विश्व के अन्य देशों की तरह, अपने देश में भी आवास की कमी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवा की बढ़ती कमी और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रणाली से संबंध के साथ यह सामाजिक आर्थिक संतुलन के लिए एक खतरा बनकर उभरी है। वर्ष 2012-17 दौरान अनुमानों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 18 मिलियन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 43.67 प्रतिशत आवास की कमी होगी।

नीति एवं कार्यान्वयन में हस्तक्षेप आय स्तर, आवास इकाइयों के आकर एवं वहनीयता की तुलना में किफायती आवास की परिकल्पना की गई है। वहनीयता की सबसे आम स्वीकृत परिभाषाएं किफायती आवास को संदर्भित करती हैं जो परिवार की आय की तुलना में आवास पर व्यय के मानक के तौर पर ली गई है। यह भारत सरकार द्वारा भी स्वीकृत है जो कहाता है “किफायती आवास का अर्थ कोई भी ऐसा आवास है जो वहनीयता मानदंड के किसी रूप को पूरा करता हो जो परिवार का आय स्तर, आवास इकाई का आकार या ईएमआई राशि के संदर्भ में किफायती या वार्षिक आय की तुलना में आवास की कीमत का अनुपात हो सकता है (सबके लिए आवास पर उच्च स्तरीय कार्य दल, दिसंबर, 2008)।

भारत में आवास हेतु एक निर्धारित अवधि के लिए अपनाया गया नीति ढांचा को नीचे दिए अनुसार संक्षिप्त में बताया जा सकता है:

आवास नीति	वर्ष
राष्ट्रीय आवास नीति	1988
राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति	1994
राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति	1998
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	2005
राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति	2007
राजीव आवास योजना	2009
प्रधानमंत्री आवास योजना: वर्ष 2020 तक सबके लिए आवास	2015

25 जून, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने “प्रधानमंत्री आवास योजना”- किफायती आवास योजना का आरंभ करते हुए घोषणा की थी कि वर्ष 2022 तक गरीबों के लिए 5 करोड़ घर बनाए जाएंगे जिसमें से 3 करोड़ घर ग्रामीण

क्षेत्रों में और 2 करोड़ घर शहरी क्षेत्र में होंगे। यह मिशन वर्ष 2015 से 2022 तक कार्यान्वित की गई है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से निम्न हेतु शहरी स्थानीय निकाय एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

1. निजी सहभागिता के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कर मौजूदा मलिन बस्तियों का स्व-स्थाने पुनर्वास
2. ऋण आधारित सब्सिडी
3. भागीदारी में किफायती आवास
4. लाभार्थी आधारित वैयक्त आवास निर्माण/विस्तार हेतु सब्सिडी

शहरी आवास में भावी पदिरदृश्य

1. आवास की कीमतों के अनुक्रमित प्रचलित स्तर तक आवास ऋण की प्राथमिक क्षेत्र सीमा का युक्तिकरण।
2. परिवार कल्याण एवं वित्तीय स्थिरता की निगरानी हेतु मॉर्टगेज डाटा का निर्माण एवं पहुंच।
3. “सामाजिक किराया आवास” अर्थात् किराया आवास के माध्यम से निम्न लागत आवास जिसमें किराया बाजार दरों से कम स्तर पर निर्धारित किया जाता है ताकि ये गरीब लोगों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय समूह) हेतु किफायती हो। ये सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, गैर-लाभकारी संगठनों, निजी या अन्य धर्मार्थ संस्थानों द्वारा खरीदे गए या प्रबंधित हो सकते हैं।
4. और सामग्री बीमा
5. बचत उत्पाद, बीमा उत्पाद, मॉर्टगेज उत्पाद होने से वित्तीय प्रणाली के साथ सामान्य व्यक्ति का न्यूनतम वित्तीय भागीदारी।
6. पट्टा/किराया करार, निर्माण अनुमति आदि नामक कानूनी एवं विनियामक तंत्र में सुधार को सुगम बनाना।
7. आर्थिक रूप से व्यवहार्य किराया आवास मॉडलों का विकास करना (जैसे कि किराए से खरीद योजना, साझा स्वामित्व योजना, पीपीपी मॉडल, किराया वाउचर योजना, किराया भत्ता योजना आदि)।
8. बड़े स्तर के किराया आवास परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन में खासतौर पर दक्षता लाने हेतु रिहायशी किराया प्रबंधन कंपनियों को प्रोत्साहित करना।





आवास बीमा की जरूरत

— विजय कुमार
केन्द्रीय प्रबंधक

हम जब भी अपने सपनों की बात करते हैं तो उसमें हमारा अपना घर सबसे ऊपर होता है। वैसे तो मानव सभ्यता के शुरुआत से ही आवास का अपना एक अलग ही महत्व रहा है लेकिन समय के साथ यह सपना काफी महंगा भी होता गया है। कोई भी युग हो फिर वो चाहे सभ्यता का शुरुआती दौर हो या फिर शहरीकरण का दौर, आवास की महत्ता लगातार बढ़ती ही गई है। लेकिन पीछे कुछ समय में इसकी आसान पहुंच मध्यम आय वर्ग से भी दूर होती गई है। लोगों के गांव से शहर की ओर पलायन और एकल परिवार की अधिकता ने आवास की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया है। जिस कारण आए दिन इसकी कीमत बढ़ती ही जा रही है। आज आलम यह है कि हम अपने जीवन भर की जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा मकान खरीदने तथा उसे सजाने-संवारने में लगा देते हैं। इसके बावजूद हम प्राकृतिक या अन्य प्रकार की आपदाओं से इसकी सुरक्षा सुनिश्चित बनाने पर कम ही ध्यान देते हैं जबकि अक्सर बिना चेतावनी तबाही मचाने वाली भूकंप तथा अग्निकांड जैसी आपदाओं में होने वाले भारी नुकसान को देखते हुए हमें आवास बीमा करवा लेनी चाहिए जिससे की हमारा घर सुरक्षित रहे और हम चैन की नींद सो सकें।

प्रति वर्ष कुछ हजार रूपए के प्रीमियम वाला बीमा भी आपके घर को किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से पहुंचने वाले नुकसान के एवज में करीब लाखों रूपए की



सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हमारे देश में अभी भी इस बीमा को लेकर उतनी जागरूकता नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी। दरअसल ये आवास बीमा कैसे की जाए, क्या होती है आवास बीमा, इन सबके बारे में हम इस लेख के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे।

इमारत के मूल्य का बीमा

आपको आवास बीमा लेने से पहले यह जानने की जरूरत है कि संपत्ति भले ही कितने भी कीमत की हो लेकिन आपको इतना बड़ा बीमा लेने की जरूरत नहीं है। बीमा केवल इमारत की पहुंचने नुकसान या इसे पुनः निर्मित करने के खर्च की भरपाई के लिए होता है, वह संपत्ति के बाजार मूल्य को कवर नहीं करता है।

इमारत को पुनः निर्मित करने पर खर्च निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर प्रति वर्ग फुट रूपए के हिसाब से तय किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि प्रतिवर्ष प्रीमियम 2000 रूपए तक रखना है तो 1500 वर्ग फुट में बनी अच्छी गुणवत्ता वाली इमारत के लिए कम से कम 30 लाख का बीमा लेना होगा। मल्टी ईयर पॉलिसी लेना अधिक बेहतर होगा जो चिंता मुक्त करने के साथ-साथ आकर्षक छूट भी प्रदान करती हैं।



चूंकि निर्माण पर आने वाले खर्च में हर वर्ष वृद्धि होती है, कुछ वर्ष के बाद बीमा कवर की रकम पर पुनर्विचार कर लेना भी सही होगा।

सामान का भी बीमा

आवास के अलावा इसमें रखे सामान को हो सकने वाले संभावित नुकसान का भी बीमा करवा लेनी चाहिए। ऐसा न करना भी कई बार काफी महंगा पड़ सकता है क्योंकि आपके घर में मौजूद सारे सामान का कुल मूल्य आपकी कल्पना से भी अधिक होता है। बाढ़, तूफान या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के अलावा सामान की चोरी-डकैती या आग का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में आवास बीमा लेते समय सामान को भी इसमें शामिल करना बेहतर होगा। यदि आप कम्प्रीहेंसिव हाउसहोल्डर्स पॉलिसी लेते हैं तो कंपनियां कुछ अतिरिक्त कवरेज भी प्रदान करती हैं। इसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकता है जो किसी तरह की दुर्घटना में घायल, अपाहिज या मृत्यु होने पर एकमुश्त रकम प्रदान करती है।



अतिरिक्त कवरेज

इस तरह की आधारभूत सुरक्षा के अलावा बीमा कंपनियां एड ऑन कवर्स जैसे कि आपके घर की मरम्मत के दौरान किराए के मकान में रहने का खर्च वहन करने जैसे ऑफर भी देती हैं। यदि आपने अपना मकान किराए पर दिया है तो प्राकृतिक आपदा में इसके रिहायश के काबिल न रहने पर होने वाली किराए की आय की भरपाई के लिए भी कवर लिया जा सकता है। याद रखें कि इस तरह के कवर आपदा के लगभग एक वर्ष बाद तक की सीमित अवधि के लिए ही हाते हैं। जहां तक अन्य खतरों का संबंध है तो आतंकवाद और दंगे इनमें शामिल हैं। अपने मकान को इन खतरों से होने वाले नुकसान का कवर भी आवास बीमा पॉलिसी के तहत हासिल किया जा सकता है।

दावा करते समय

आपदा या बीमा में तय किए गए अन्य कारणों से नुकसान पहुंचने के बाद बीमा एजेंट को इसके बारे में सूचित करना चाहिए। सर्वेयर नुकसान का आकलन करेगा। किसी आपदा की स्थिति में खोए या क्षतिग्रस्त होने वाले सभी सामान की जानकारी देना आसान नहीं होगा इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही अपने घर में मौजूद सभी साजो-सामान की सूची तैयार करके किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। यह आपके और सर्वेयर दोनों के लिए काम काफी आसान बना देगा। आवास बीमा की सहायता से आप कम खर्च पर अपने आशियाने की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।



आवास बीमा के प्रकार

आवास बीमा आमतौर पर तीन तरह से किया जाता है। एक भवन का, दूसरा घर के सामान का और तीसरा दोनों का। इसके लिए बीमा कंपनियों के अलग-अलग

उत्पाद हैं जिनमें किसी भी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटनाओं के चलते इंश्योर्ड सामान को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। आवास बीमा कं अंतर्गत आप विस्फोट, भूकंप, बिजली गिरना, तूफान, गैस लीकेज, वाटर टैंक लीकेज या पाइप का रिसाव या फटना, चोरी या डकैती, किसी वाहन से नुकसान आदि स्थितियों में बीमा की रकम प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक बात है सामान की तो आप अपने घर के बिजली के सामान, फर्नीचर एवं फिक्सचर्स, कपड़े, आभूषण एवं महंगे रत्नों आदि का भी बीमा करा सकते हैं।



निम्न बातों का भी रखें ध्यान

कोई भी आवास बीमा लेते समय इस बात की अच्छी तरह जांच कर लें कि प्लान के तहत आपके घर की कौन-कौन सी चीज कवर हो रही है। बीमा लेते समय ही आपको दावा का तरीका भी समझ लेना चाहिए। हो सकता है कि दो कंपनियां अपनी पॉलिसी में आपको बराबर रकम देने का वादा करें लेकिन दावा करते समय उतनी रकम न मिले। इससे बचने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि जितना पैसा बताया जा रहा है वह सारा पैसा दावा के रूप में मिलेगा या कुछ कम मिलेगा। यह भी देख लें कि बीमा कंपनी उन सभी सामान की कीमत दे जिनका नुकसान हुआ है न कि सिर्फ उनकी जिन्हें आप दोबारा खरीदने वाले हैं। जब भी आप कोई दावा करते हैं तो कंपनी कंपनी पहले दो बातों की जांच करती है कि वास्तव में वे चीजें आपके पास थीं भी या नहीं और क्या आपके द्वारा बताई गई कीमत सही है? ऐसी स्थिति में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आप पॉलिसी कराते समय ही कवर्ड सामान का वीडियो बना सकते हैं। इस प्रकार से जहां एक ओर आपका सपनों का घर सुरक्षित रहेगा तो वहीं उसकी सजावट भी और अगर आपने एक सही आवास बीमा लिया है तो आप चैन की नींद सो सकते हैं।





स्वरोजगार सृजन हेतु कुछ सरकारी प्रयास



– शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

भारत को हमेशा से कृषि प्रधान देश माना गया है। अगर हम आजादी के बाद देखें तो इस क्षेत्र में काफी गिरावट देखी गई है। जहां पहले कृषि जीडीपी में 30 प्रतिशत से कहीं ज्यादा योगदान देता था वह आज के समय में घटकर 16 से 17 प्रतिशत के आस-पास रह गई है। हालांकि पूर्व से लेकर वर्तमान सरकारों, कृषि विशेषज्ञों ने इस दिशा में अपनी तरफ से प्रयास किए हैं। लेकिन यह भी एक सच है कि यदि कृषि आधारित उद्योग कम होती है तो ग्राम स्वरोजगार का जो हमारा सपना है वह कहीं न कहीं विफल हो सकता है। कृषि आधारित उद्योगों की एक विशेषता यह है कि यह स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन करता है और यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह काफी लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है और ऐसा करने से जीडीपी में इसका योगदान को भी बढ़ाया जा सकता है। इससे जहां एक ओर किसान की सेहत में सुधार आएगा वहीं रोजगार संबंधी समस्या को भी एक हद तक निपटारा जा सकता है। कृषि-आधारित उद्योगों हेतु पूंजी व्यवस्था करने व संसाधन जुटाने में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं द्वारा अलग-अलग तरीके से सहायता दिया जा रहा है। कृषि-आधारित उद्योगों से बड़े उद्योगों की अपेक्षा प्रति इकाई पूंजी द्वारा अधिक लाभ तो कमाया ही जा सकता है। साथ ही, यह उद्योग रोजगारपरक भी होते हैं। कृषि-आधारित उद्योगों हेतु कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े-लिखे हैं या जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। साथ ही, देश के युवाओं को उद्योगों से



जुड़ा प्रशिक्षण देकर उनकी योग्यतानुसार रोजगार के काबिल बनाना है जिससे युवाओं की तरक्की के लिए कुछ नयापन लाया जा सके। यह केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाणपत्र पूरे देश में मान्य होता है। इसके तहत वर्ष 2022 तक 40.2 करोड़ युवाओं को शामिल करने की योजना है। इसके अलावा, इस योजना से अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, इसके लिए युवाओं को ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा है। इसके अन्तर्गत सरकार ने कई टेलीकॉम कम्पनियों को इस कार्य के लिए अपने साथ जोड़ रखा है, जो मैसेज के द्वारा इस योजना को सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जिसके तहत योजना से जुड़े लोगों को मैसेज करके एक टोल फ्री नम्बर दिया जाता है जिस पर आवेदक को मिस्ड कॉल देना होता है। मिस्ड कॉल के बाद आवेदक आईबीआर सुविधा से जुड़ जाएंगे। इसके बाद आवेदक को अपनी जानकारी निर्देशानुसार भेजनी होती है। आवेदक के द्वारा भेजी गई जानकारी कौशल विकास योजना सिस्टम में सुरक्षित रख ली जाती है। यह जानकारी मिलने के बाद आवेदनकर्ता को उसी क्षेत्र में यानी उसके निवास स्थान को आस-पास प्रशिक्षण केन्द्र से जोड़ा जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

इस योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केन्द्र तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है। इसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि करना, खाद्य प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना, प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थों का निर्यात बढ़ाना, डेयरी व मत्स्य आदि कृषि उत्पादों का मूल्य-संवर्धन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का सृजन करना, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस योजना के तहत लगभग 20 लाख किसानों को फायदा होगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की सम्भावना है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अन्तर्गत सरकारी अनुदान, नाबार्ड और मुद्रा योजना के तहत आसान शर्तों एवं सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयंसहायता समूहों के अन्तर्गत अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को शामिल करने पर जोर देने से भी यह सुनिश्चित करने में



मदद मिली है कि गरीब परिवारों की अधिकता वाले क्षेत्रों को ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में प्राथमिकता मिले। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-आज महिला शक्ति द्वारा ग्रामीण उत्थान की अद्भुत मिसाल बन गया है। इसके अन्तर्गत गरीब ग्रामीण परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के रूप में प्रशासनिक सहायता से संगठित किया जाता है और उन्हें किसी एक कार्य में कौशल प्रदान किया जाता है जिसमें आमदनी की पर्याप्त सम्भावना हो। कुशलता प्राप्त करने के बाद उनके लिए किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण की व्यवस्था की जाती है। महिला स्वयं सहायता समूहों ने पिछले पाँच वर्षों में कुल 1.64 लाख करोड़ रुपए बैंक ऋण के रूप में जुटाए हैं।

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम

भारत सरकार ने कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अन्तर्गत देश के हर जिले में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों के द्वारा कृषि-आधारित उद्योग-धंधों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रशिक्षण के उपरांत ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और किसानों को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सहायता से अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता है। इसके अलावा, क्षेत्रीय-स्तर पर ही ग्रामीणों की समस्याओं और चुनौतियों का निदान किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत बदलावों के उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। आज कृषि, पशुपालन और खाद्य पदार्थों के व्यवसाय से जुड़े लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान समय में देशभर में कृषि-आधारित उद्यमों/स्टार्टअप की हर क्षेत्र में भरमार है जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं, एक तो यह कि युवा स्वरोजगार की ओर अधिक आकर्षित हैं। दूसरा, वे कुछ नया करने का जुनून रखते हैं। इसके अलावा, सरकार और सरकारी योजनाएं भी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। वक्त की जरूरत को देखते हुए सरकार ने हर क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 'दृष्टि' नामक संस्था ने तीस गाँवों की 250 महिला किसानों को कम रसायनों का प्रयोग करके सब्जियाँ उगाने की तकनीक सिखाई, उसके बाद स्टार्टअप शुरू किया। इसमें 'सखी फार्मर' ने लोगों को ताजी हरी सब्जियों का जायका चखाने का बीड़ा उठाया है। मौसमी सब्जियों को खेतों से सीधे किचन तक पहुँचाने के लिए 'सखी फार्मर' के नाम से एक साल पहले शुरू हुआ पॉयलट प्रोजेक्ट अब लोगों के दिल में उतरने लगा है। आज शहर के आधा दर्जन मोहल्लों में तो 'सखी फार्मर' ताजी हरी सब्जियों का नया सिग्नेचर बन गया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरे देश में लागू किया गया है। इस योजना का लाभ 5.5 करोड़ कुशल युवाओं को

मिलने की उम्मीद है। यह योजना 'मेक इन इंडिया' की मुख्य भागीदार है। समाज के वंचित समुदायों के साथ-साथ दिव्यांग जन और महिलाओं को भी कौशल-विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यह एक ऐसी पहल है जिसमें ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है। इस तरह, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर प्रदान कर रही है। इसके अन्तर्गत, सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करती है। इसके बाद सम्बन्धित उद्योग में उन्हें रोजगार दिलाने में भी सहायता करती है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत आज देशभर में ग्यारह सौ से ज्यादा प्रशिक्षण केन्द्र काम कर रहे हैं जो लगभग 300 व्यवसायों में आधुनिक कौशल प्रदान करते हैं। इन केन्द्रों द्वारा अब तक 2.70 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत विभिन्न उद्यमों में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।

ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

देशभर में गरीबी दूर करने और ग्रामीणों को रोजगार व प्रशिक्षण देने हेतु ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटी) खोले जा रहे हैं जिनमें कृषि सम्बन्धी कार्यों के अलावा ग्रामीण उद्यमिता के अन्य व्यवसायों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनका संचालन बैंकों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारें इसमें साझेदार हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देकर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। इसके बाद ग्रामीण युवा प्रशिक्षु के रूप में उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना रोजगार आरम्भ कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार द्वारा युवाओं की वित्तीय मदद भी की जाती है। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का पलायन रोकने में भी यह योजना कारगर और लाभदायक सिद्ध होगी।

एस्पायर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में इनोवेशन, ऑन्ट्रान्प्रायोरशिप (स्वरोजगार) और कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी जिसे हाल में नए प्रावधानों के साथ अधिक उपयोगी बनाया गया है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान 80 आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर्स और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। कुल 75,000 आकांक्षी उद्दिमियों को कृषि-आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, पशु आहार, दूध के संग्रहण और विपणन जैसे कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

देश के अनेक क्षेत्रों में जल संसाधनों की उपलब्धता के कारण किसान मछली पालन को अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। भूमि के एक छोटे से टुकड़े में





तालाब बनाकर या तालाब को किराए पर लेकर भी व्यावसायिक ढंग से मछली पालन किया जा सकता है। मछली उद्योग से जुड़े अन्य कार्यों जैसे कि मछलियों का श्रेणीकरण एवं पैकिंग करना, उन्हें सुखाना एवं उनका पाउडर बनाना तथा बिक्री करने आदि से काफी लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। इस सम्भावना को देखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की शुरुआत की गई है। परन्तु इसका फायदा केवल मछली उत्पादक तक सीमित न रहे, इसके लिए मत्स्य उद्यम को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मत्स्य उद्योग से सम्बन्धित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। साथ ही, पहले से उपलब्ध सुविधाओं के आधुनिकीकरण और सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मछली पकड़ने के बाद प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार मत्स्य प्रबंधन पर एक पूरी रूपरेखा बना ली गई है ताकि इससे सम्बन्धित मूल्य-श्रृंखला विकसित हो सके।

मेगा फूड पार्क योजना

देश के कई भागों में 'मेक इन इंडिया' योजना के अन्तर्गत मेगा फूड पार्कों की स्थापना की गई है। इससे वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेगा फूड पार्क योजना का मूल उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करण कर्ताओं और रिटेल कारोबारियों को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए एक मशीनरी उपलब्ध कराना होता है जिससे कृषि उत्पादों की बर्बादी को न्यूनतम कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। इससे ग्रामीण युवाओं व किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से युक्त आधुनिक आधारभूत संरचना का विकास होगा जिससे खेत का उत्पाद सीधे रिटेल आउटलेट तक पहुँच सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या कम करने के अलावा, देश और ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

एग्रीबिजनेस

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नाबार्ड के सहयोग से किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और कृषि में आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए एग्रीबिजनेस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों द्वारा फसल उत्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी व प्राप्त फसल उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना है। इसके अन्तर्गत, ग्रामीण युवाओं को कृषि तकनीकी और मैनेजमेंट तकनीकी के बारे में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ स्वयं का एग्रीबिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना है। इसके तहत, कृषि स्नातकों को कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बागवानी, रेशम उद्योग, डेयरी उद्योग, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन इत्यादि कृषि सम्बन्धी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार ने कृषि उद्यम स्थापना के लिए विशेष स्टार्टअप ऋण सहायता योजना आरम्भ की है। इन केन्द्रों

के माध्यम से ग्रामीण और स्थानीय-स्तर पर लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

उपरोक्त योजनाओं में ग्रामीणों युवाओं, महिलाओं, किसानों व पशुपालकों को केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी व ऋण सुविधा भी दी जा रही है। किसान भाई अपनी तहसील व जिले में स्थित बैंकों और कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में इससे लाभ

ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों से प्राप्त उत्पादों के प्रसंस्करण व परिरक्षण से अनेक कृषि-आधारित उद्योगों का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है। जैसे मूंगफली से भुने हुए नमकीन दाने, चिक्की, दूध व दही बनाना सोयाबीन से दूध व दही बनाना फलों से शर्बत, जैली व स्ववॉश बनाना आलू व केले से शीरे व अंगूर से शराब व अल्कोहल बनाना विभिन्न तिलहनों से तेल निकालनाय तलहनी उत्पादों से दालें बनाना धान से चावल निकालना आदि। इसके अलावा, दूध के परिरक्षण व पैकिंग के साथ-साथ इससे बनने वाले विभिन्न उत्पादों जैसाकि दूध का पाउडर, दही, छाछ, मक्खन, घी, पनीर आदि के द्वारा दूध का मूल्य-संवर्धन किया जा सकता है। फूलों से सुगंधित इत्र बनाना लाख से चूड़ियां तथा खिलौने बनाना कपास के बीजों से रूई अलग करना तथा दबाव डालकर रूई का गठ्ठर बनाना जूट व पटसन से रेशे निकालने के अलावा कृषि के विभिन्न उत्पादों से अचार एवं पापड़ बनाना आदि के द्वारा मूल्य-संवर्धन किया जा सकता है और कम पूंजी लगाकर स्वरोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि-आधारित उद्योगों में ताड़, बांस, अरहर तथा कुछ अन्य फसलों एवं घासों के तनों एवं पत्तियों द्वारा डलियां, टोकरियां, चटाईयां, टोप व टोपियां तथा हस्तचालित पंखे बुनना, मूँज या सरपत से बान (चारपाई हेतु रस्सी) व मोढ़े बनाना, बेंत से कुर्सी वे मेज बनाना आदि प्रमुख हैं। इनके अलावा, रूई से रजाई-गद्दे व तकिए बनाने के अलावा सूत बनाकर हथकरघा-निर्मित सूती कपड़ा बानानेय जूट एवं पटसन के रेशे से विभिन्न प्रकार के थैले टाट, निवाड़ व गलीचों की बुनाई करने जैसे उद्योगों को अपनाया जा सकता है। लकड़ी का फर्नीचर बानानाय स्ट्रा बोर्ड, कार्डबोर्ड व सापटबोर्ड बानाना तथा साबुन बानाना आदि कुछ अन्य उद्योगों द्वारा स्वरोजगार पाया जा सकता है।

यह भी एक सच्चाई है कि यदि हम स्वरोजगार के जितने अधिक अवसर पैदा करेंगे रोजगार का संकट उतनी तेजी से कम होगा। आज के समय में हमें अपने गांवों पर ध्यान देने की बहुत अधिक जरूरत है क्योंकि यहां रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। हम लोगों को कुशल बनाएंगे तभी तो देश कुशल बनेगा और आने वाली सदी में यदि दुनिया को भारत की आकृष्ट करना है तो हमें इस दिशा में और भी गहन प्रयास करते रहने होंगे।





कितनी सुरक्षित होती हैं बहुमंजिला इमारतें

— शिखर बीर
सहायक प्रबंधक



जब भी गगनचुंबी इमारतों को देखते हैं तो कई प्रकार के ख्याल मन में उठते हैं, मसलन, कितना सुंदर और आकर्षक हैं ये, कितने भाग्यशाली हैं इनमें रहने वाले,

क्या कभी हमें ऐसी इमारतें नसीब होंगी। लोग अपने कार्यालय ऐसी इमारतों में रखना चाहते हैं। बहुमंजिला इमारतों को वैभव का एक चिन्ह माना जाता है। हालांकि बड़े शहरों में ऐसी इमारतें बनाना मजबूरी भी है क्योंकि अब वहां इतनी मात्रा में खाली जमीन नहीं बचे हैं कि खुले-खुले मकान बनाए जाएं। विश्व की तो बात की ही क्या लेकिन यदि हम भारत की ही बात करें तो यहां जो ऊंची इमारतें हैं उनमें से अधिकतर मुंबई-दिल्ली जैसी महानगरों में हैं। फिर चाहे मुंबई का 'वर्ल्ड वन प्रोजेक्ट' हो या फिर कोलकाता का 'द 42' और नोएडा का 'सुपरटेक नॉर्थ आई'। हमारे यहां एक दिक्कत ये है कि हमारे पास बहुमंजिला इमारतों को लेकर पुख्ता नियमों का अभाव है। ये ऊंची इमारतें जहां एक ओर मूलभूत संरचनाओं के विकास की ओर इशारा करती है तो वहीं यह चिंता का कारण भी है कि अभी तक देश में 'टॉल बिल्डिंग्स कोड' अर्थात् बहुमंजिला इमारतों संबंधी नियम तय नहीं किए गए हैं।

जैसा कि हम सब को मालूम है कि नोएडा और गुडगांव दोनों 'हाई रिस्क सिस्मिक जोन 4' में हैं यानि यहां भूकंप आने की काफी अधिक संभावना है। दोनों शहरों में 50 मंजिला से अधिक ऊंची इमारतें हैं। इसके अलावा दिल्ली के 'मास्टर प्लान 2021' में भी बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर जोर देने की बात कही गई है। स्ट्रक्चरल एवं सिस्मिक इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स इस तथ्य पर जोर देते रहे हैं कि एक देश विशेष में 'टॉल बिल्डिंग्स कोड' बनाना वक्त की जरूरत है। गौरतलब है कि इन



नियमों एवं मापदंडों के अभाव में देश में बन रही अधिकतर ऊंची परियोजनाओं में विदेशी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है जो विदेशों में ऐसी परियोजनाओं के निर्माण कार्य कर चुके हैं। बेशक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों या प्रक्रियाओं का भारत में प्रयोग करने में कोई बुराई तो नहीं है लेकिन किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर

आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। यदि भूकंप जैसी आपदा की वजह से ऐसी इमारतों को नुकसान होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा।

विशेषज्ञों की मानें तो देश में अधिकतर 'बिल्डिंग्स कोड' एक दशक से अधिक पुराने हैं जो केवल 9 से 10 मंजिला इमारतों पर लागू होते हैं। साथ ही हमारे यहां ऊंची



इमारतों के निर्माण के वक्त हवाओं या भूकंप से पड़ने वाले दबाव से सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जाने के लिए विशेष प्रावधान भी नहीं है जो ऐसी इमारतों के निर्माण के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसका अर्थ है कि भूकंप के खतरे वाले जोन-3 या जोन-4 इलाकों में भूकंप आपने पर इमारतों को नुकसान होने पर किसी को भी जबावदेह नहीं बनाया जा सकेगा क्योंकि इनका निर्माण वर्तमान नियमों के तहत नहीं किया गया है। 50 मंजिला से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण की कोशिश कर रहे विकासकों को यह जानना आवश्यक है कि उनका यह प्रयास ठीक ऐसा ही होगा जैसे कोई कार निर्माता हवाई जहाज निर्माण में कदम रख दे।

हालांकि मुंबई में 'टॉल बिल्डिंग्स कोड' के अभाव को पूरा करने के लिए एक 'टॉल बिल्डिंग्स समिति' बनाई गई जो बहुमंजिला परियोजनाओं का विश्लेषण करती है। ठीक इसी प्रकार 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' ने भी 'दिल्ली टॉल बिल्डिंग्स काउंसिल' की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन जो भी हो ये सारी व्यवस्थाएं अंतरिम ही होंगी क्योंकि इस समय देश में एक पुख्ता 'टॉल बिल्डिंग्स कोड' की जरूरत है। इस वक्त बहुमंजिला इमारतें बनाने वाले भवन निर्माणकर्ता को प्रशासन के पास अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा करवाने होते हैं। इनमें एयरपोर्ट अथॉरिटी तथा अग्निशमन विभागों से प्राप्त स्वीकृतियां शामिल होती हैं। टॉल बिल्डिंग्स कोड



के अभाव में देश में अधिकतर इमारतें 'कॉलैप्स प्रीवेंशन लेवल' के आधार पर डिजाइन की जाती है जो इमारतों के सुरक्षा मापदंडों का सबसे निम्नतर स्तर है।

इमारतों के चार प्रदर्शन स्तर होते हैं:

1. **फुली ऑपरेशनल लेवल:** यानि भूकंप के बाद भी इमारत पूरी तरह चालू हालात में रहेंगी जिसमें बिजली-पानी, ए.सी., लिफ्ट आदि सभी सेवाएं जारी रहेंगी। इमारत को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है तथा उसकी कोई सेवा बाधित नहीं होगी।
2. **इमीजिएट ऑक्यूपेंसी परफॉर्मेंस लेवल:** यानि भूकंप के बाद इमारत खड़ी रहेगी परंतु इसकी सेवाओं के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। भूकंप के तुरंत बाद इस तरह की इमारत चालू हो जाती है।
3. **लाइफ सेफ्टी परफॉर्मेंस लेवल:** यानि भूकंप से इमारत को नुकसान तो होगा लेकिन मामूली नुकसान होने की संभावना होती है जिसकी मरम्मत करके उसे रहने लायक बनाया जा सकेगा।
4. **कॉलैप्स प्रीवेंशन परफॉर्मेंस लेवल:** यानि भूकंप से इमारत तथा सभी सेवाओं को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इमारत के पूरी तरह गिरने का खतरा भी होगा और भूकंप के बाद वह रहने लायक भी नहीं रहेगी और सबसे बड़ी समस्या यही है कि भारत में अधिकतर ऊंची इमारतें इसी स्तर के आधार पर डिजाइन की जाती हैं।



इलाके के संदर्भ में ऊंचाई: केवल इमारत की ऊंचाई का महत्व नहीं है बल्कि उस इलाके के साथ इसे जोड़ कर देखा जाना चाहिए जहां यह स्थित है। जैसे कि ऊंची इमारतों से भरे शिकागो जैसे शहर में एक 14 मंजिला इमारत को ऊंची इमारत नहीं माना जाएगा लेकिन इतनी ही ऊंची इमारत किसी यूरोपीय शहर या उपनगर में काफी ऊंची मानी जाएगी जहां अधिकतर इमारतें कम ऊंचाई की होती हैं।

अनुपात: फिर, ऊंची इमारत का मतलब केवल ऊंचाई से ही नहीं बल्कि इसके अनुपात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कई इमारतें हैं जो बहुत अधिक ऊंची तो नहीं होती हैं लेकिन इतनी संकरी या पतली होती हैं कि वे ऊंची दिखाई देती हैं क्योंकि उनके आसपास का इलाका कम ऊंचाई का होता है।

ऊंचाई संबंधी तकनीकें: यदि किसी इमारत में ऐसी तकनीक का प्रयोग हो जो ऊंची इमारतों में ही इस्तेमाल होती हों (जैसे एलिवेटर आदि) तो इस इमारत को भी ऊंची इमारत की श्रेणी में रखा जा सकता है।

मंजिलों की संख्या: हालांकि मंजिलों की संख्या के हिसाब से ऊंची इमारतों की सटीक परिभाषा तय नहीं की जा सकती हो (क्योंकि मंजिलों की ऊंचाई अलग-अलग हो सकती है) लेकिन 14 मंजिल या उससे अधिक मंजिल या 50 मीटर से अधिक ऊंचाई को 'टॉल बिल्डिंग' तय करने का मापदंड माना जा सकता है।

अतः कहने का यह मतलब है कि जब हमारा देश इस दशक में तकनीकी तौर पर अधिक उन्नत हो रहा है तो इस तकनीक का इस्तेमाल हमें अपने भवनों की सुरक्षा के लिए भी करनी चाहिए ताकि आने वाले दशकों में विश्व के अन्य विकासशील राष्ट्र हमारा अनुसरण करें और हम उच्च कोटि के सुरक्षित भवन निर्माण की श्रेणी में भी अग्रणी हों।



हमारे यहां एक दिक्कत यह भी है कि हमारे देश में 'ऊंची इमारत की परिभाषा स्पष्ट रूप से तय नहीं की गई है। कोई भी 15 मीटर से ऊंची संरचना को 'हाईराइज' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 'हाईराइज' और 'टॉल बिल्डिंग' की परिभाषाओं के बीच भ्रम है। इमारत चाहे 10 मंजिला हो या 50 मंजिला वे एक ही वर्ग में हैं। भारत में इमारतों संबंधी सभी वर्तमान नियम 10 से 20 साल पुराने हैं।





अचल संपत्ति का सही लाभ

— दीपक राठी
सहायक प्रबंधक



निवेश कैसे किया जाए और कहां किया जाए यह हमेशा से आपके परिवार के लिए सोचने का विषय रहा है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि इन निवेश से क्या लाभ होगा और क्या यह निवेश लाभदायक होगा भी या नहीं। पहले के समय में लोग अधिकतर खुद के नाम पर ही निवेश करते थे लेकिन अब समाज की सोच में आए बदलाव के कारण लोग संयुक्त रूप से या पत्नी के नाम पर भी निवेश करने लगे हैं। हम हमेशा निवेश के माध्यम से आय कर या संपत्ति कर में बचत करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पत्नी के नाम पर यदि आप आप अचल संपत्ति खरीदते हैं या उनके द्वारा अपनी आय से कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो इससे किसी भी परिवार को आय एवं संपत्ति कर में काफी बचत होने की संभावना रहती है। विवाहित महिलाएं अपने तोहफों अथवा ऋण द्वारा व्यक्तिगत तौर पर अपनी पूंजी बना सकती हैं और आज के समय में यह काफी जरूरी भी है। यदि विवाहित स्त्री आयकर अदा करती है तो उसके लिए अपने नाम पर घर बनाना उचित होगा। कई मामलों में यदि हम आयकर के नजरिए से देखें तो कर देयता की पत्नी अथवा परिवार के मुख्य पुरुष सदस्य द्वारा घर खरीदना या बनाना उचित होगा।

यदि पत्नी के पास आय के स्रोत एवं निवेश योग्य पूंजी अलग और स्वतंत्र रूप से है तो वह उसमें से संपत्ति खरीद सकती है अथवा अपने नाम पर जमीन खरीदकर उस पर आवास निर्माण कर सकती है। स्त्री यदि चाहे तो संपत्ति को संयुक्त नामों पर यानि एक अपने नाम पर और दूसरा परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर भी खरीद सकती है।



अगर घर के निर्माण अथवा खरीद के लिए पत्नी के पास पर्याप्त पूंजी न हो तो वह इस कार्य के लिए पैसा उधार भी ले सकती है। घर में निवेश के लिए किसी भी

व्यक्ति से पैसा लिया जा सकता है इसपर कोई बंदिश नहीं है, इसमें उनके अपने पति, ससुर तथा सास भी शामिल हैं। असी प्रकार वह अपने पुत्र, भाई-बहन, अन्य रिश्तेदारों, दोस्तों, बैंक अथवा अन्य किसी स्रोत से भी ऋण ले सकती है परंतु ऋण पर उचित ब्याज अदा किया जाना चाहिए। विशेषतौर पर यदि पैसा पति अथवा ससुराल पक्ष से लिया गया हो ताकि आयकर अधिकारी उसमें किसी प्रकार तोहफे के अंश का आरोपण न कर सकें। अगर पत्नी अपने नाम पर अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त रूप से घर खरीदती है अथवा उसका निर्माण करवाते समय इन सावधानियों पर अमल करे तो मकान से यदि कोई आय भी प्राप्त होती है तो आय के संबंध में उसका अलग से निर्धारण किया जाएगा। कई मामलों में वह अपने पति को व्यापार आदि के लिए मकान किराए पर दे सकती है परंतु पत्नी द्वारा लिया जाने वाला किराया उस इलाके में प्रचलित किराए की दर के अनुरूप होना चाहिए।



पत्नी के नाम पर अलग मकान

यदि आप अपनी पत्नी के नाम अलग से घर लेने की योजना बना रहे हैं तो पहले इस बात का स्पष्टीकरण अवश्य कर लें कि कम से कम प्राथमिक पेशगी पत्नी द्वारा दिया जाए तथा बाद का निवेश पत्नी ऋण ले कर सकती है। दोस्तों अथवा रिश्तेदारों से ब्याज रहित ऋण भी लिया जा सकता है लेकिन पति, ससुर या सास से लिया गया ऐसा ऋण कभी भी ब्याज रहित नहीं होना चाहिए। पत्नी के नाम पर ली गई संपत्ति को भी संपत्ति कर के तहत पूरी छूट का लाभ प्राप्त है।

संपत्ति कर के नजरिए से लाभ

यदि हम संपत्ति कर की बात करें तो भी पत्नी के नाम पर असल संपत्ति में निवेश



करना लाभदायक होता है। दरअसल प्रत्येक करदाता के लिए एक मकान अथवा 500 वर्ग मीटर भूमि के टुकड़े को संपत्ति कर से पूर्णतः छूट प्राप्त है (हालांकि यह अलग-अलग राज्यों के नियमों पर आधारित है)। संपत्ति कर में छूट आमतौर पर बिना किसी अधिकतम सीमा के होती है। अर्थात् यदि पत्नी किसी आलीशान कोठी की मालकिन है तब भी उसे उस संपत्ति पर संपत्ति कर अदा नहीं करना होगा।

असल में यह यह बहुत बढ़िया निर्णय है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने नाम पर संपत्ति खरीदे। यह बिल्कुल सही है तथा एकल परिवारों के लिए यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संपत्ति कर की बचत हो सकती है।

नौकरीपेशा करदाताओं को भी लाभ

नौकरीपेशा के लिए भी अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीदना बढ़िया उपाय है। अगर रिहायशी संपत्ति पत्नी के नाम पर खरीदी जाए तथा पति तो नौकरी में है तथा जिसे मकान का किराया भत्ता प्राप्त होता है तो उस स्थिति में पति काफी कर बचा सकता है क्योंकि वह उस मकान में रहता है जो उसकी पत्नी के नाम पर है तथा उसके लिए वह अपने मकान किराए भत्ते से मकान का किराया अदा करेगा। यह भी संभव है कि पत्नी अपने पति के नियोक्ता को मकान किराए पर दे परंतु जहां तक संभव हो सके स्वयं के रहने के मकसद से ही मकान पत्नी के नाम पर खरीदा जाए।

इसमें एक कमी यह है कि पत्नी के पैसों अथवा निधि से संपत्ति में किया गया निवेश अपने आप में कोई आय अर्जित नहीं करता है लेकिन पत्नी के नाम पर संपत्ति



खरीदने से पत्नी द्वारा देय योग्य आयकर की औसतन दर कम हो जाती है। यह विशेषतौर पर इस तथ्य के कारण है कि पत्नी की अचल संपत्ति से आय की गणना करते समय खर्चों के कारण वह किराए से होने वाली आय के 30 प्रतिशत के बराबर की कटौती की हकदार होगी। पत्नी द्वारा संपत्ति पर वास्तव में किसी प्रकार का खर्च

किए बिना ही यह कटौती स्वीकार्य होगी। इस प्रकार पत्नी द्वारा देय योग्य औसतन आयकर 30 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। वास्तव में यह अपने आप में एक फायदे वाला सौदा है जो व्यक्ति को अचल संपत्ति में अपनी पत्नी के नाम पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।



पूंजीगत लाभ पर कर की बचत

यदि संपत्ति पत्नी के नाम पर है तो पूंजीगत लाभों पर कर की बचत संबंधी नई योजना को सफलतापूर्वक अमल किया जा सकता है। मान लीजिए कि यदि आपकी पत्नी के नाम पर कोई अचल पूंजी नहीं है और उसने शेयर आदि बेचकर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ प्राप्त किया है तो रिहायशी संपत्ति में उसका निवेश करना पूरी तरह स उचित होगा और इस प्रकार वह दीर्घकालीन पूंजीगत लाभों पर पूरा कर बचा सकती है।

अतः यदि आप रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को लेकर चिंतित हैं तो यकीन मानिए कि सेवानिवृत्ति की योजना और पत्नी की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के नजरिए से परिवार में पत्नी के नाम पर कम से कम एक मकान में निवेश करना अत्यंत लाभदायक होगा। अतः पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति में निवेश करना यकीनन सही निर्णय हो सकता है। कर बचाने की रणनीतियां आप और आपके जीवनसाथी के बीच समझ और विश्वास पर निर्भर करती हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले ही अपने कर के कुल बोझ पर चर्चा करनी चाहिए और उसके अनुसार योजना बनानी चाहिए। तभी आप उपलब्ध भत्ते से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। अतः ध्यान से निवेश करें और अपनी गाढ़ी कमाई को बचाएं।





योग करें स्वस्थ रहें

— आशीष जैन
प्रबंधक



मकरासन:—सबसे पहले चादर या चटाई बिछा लें। फिर पेट के बल लेट जाएं। अब कोहनियों को जमीन पर रख लें। फिर कोहनियों के सहारे सिर और कंधों को उठाएं। अब अपनी हथेलियों पर टुड़डी को टिका दें। गर्दन और कमर पर दबाव को कम करने के लिए कोहनियों को थोड़ा फैला लें।

लाभ:—अनिद्रा की समस्या, पीठ दर्द, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, स्लिप डिस्क, गर्दन दर्द, कमर दर्द आदि की समस्या दूर होती है। साथ ही पाचन तंत्र ठीक होता है और रक्त का संचार भी अच्छे तरीके से होता है। मोटापा दूर करने में भी लाभदायक है। इसके साथ ही इसे करने से आपके शरीर के विषाक्त पदार्थ दूर हो जाते हैं।

सावधानियां:—हर्निया के रोगी इस आसन को नहीं करें। अगर आपको यह आसन करते हुए किसी प्रकार की समस्या महसूस होती है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लें।

भुजंगासन:—आप सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। अब अपने हथेली को कंधे के सीध में लाएं। दोनों पैरों के बीच की दूरी को कम करें और पैरों को सीधा एवं तना हुआ रखें। अब साँस लेते हुए शरीर के अगले भाग को नाभि तक उठाएं। ध्यान रहे की कमर पर ज्यादा खिंचाव न आये। अपने हिसाब से इस आसन को बनाए रखें। योगाभ्यास को धारण करते समय धीरे धीरे साँस लें और धीरे धीरे साँस छोड़ें। जब अपनी पहली अवस्था में आना हो तो गहरी स्वाँस छोड़ते हुए प्रारम्भिक अवस्था में आएँ। इस तरह से एक चक्र पूरा हुआ। शुरुआती दौर में इसे 3 से 4 बार करें। धीरे-धीरे योग का धारण समय एवं चक्र की नंबर को बढ़ाएं।

लाभ:—मधुमेह से बचाता है, शरीर को सुडौल बनाता है, पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है। कमर दर्द, अस्थमा, थाइराइड आदि से बचाता है और हमें तनाव मुक्त रखता है।

सावधानियां:—अधिक कमर दर्द में इस योगाभ्यास को नहीं करना चाहिए। अगर आप को थोड़ी बहुत कमर दर्द है तो यह योग करते समय दोनों पैरों के बीच जगह रखें ताकि कम से कम खिंचाव कमर पर पड़े। गर्भवती महिलाओं को इस योग के करने से बचना चाहिए। हर्निया एवं अलसर से पीड़ित रोगियों को यह आसन नहीं करनी चाहिए। स्लिप डिस्क तथा साइटिका वाले इस योगाभ्यास करते समय विशेष रूप से सावधानी लेनी चाहिए।

नौकासन:—सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाए। आपके हाथ जांघ के बगल हो और आपकी शरीर एक सीध में हो। अपने शरीर को ढीला छोड़ें और साँस पर

ध्यान दें। अब आप साँस लेते हुए अपने सिर, पैर और पूरे शरीर को 30 डिग्री पर उठायें। ध्यान रहे आपके हाथ ठीक आपके जांघ के ऊपर हो। धीरे धीरे साँस लें और धीरे-धीरे साँस छोड़ें, इस अवस्था को अपने हिसाब से बनाये रखें। जब अपने शरीर को नीचे लाना हो तो लंबी गहरी साँस छोड़ते हुए सतह की ओर आयें। शुरुआती दौर में 3 से 5 बार करें।

लाभ:—पेट के चर्बी को कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए, पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए कमर दर्द से निजात के लिए, कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए, हर्निया से छुटकारा पाने के लिए यह आसन लाभकारी है।

सावधानियां:—जब कमर में दर्द हो तो यह आसन नहीं करनी चाहिए। हर्निया के रोगियों को यह आसन किसी विशेषज्ञ के निगरानी में करनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या हो तो इस आसन को करने से बचें।

शलभासन:—फर्श पर आराम के साथ अपने पेट पर लेट जाएं। टोड़ी को जमीन पर टीकाकर रखें। अब दोनों पैरों को बिना मोड़े हुए धीरे-धीरे ऊपर उठायें। गहरी साँस लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। धीरे-धीरे पैरों को नीचे लाएं और पूर्व स्थिति में आ जाएं। ध्यान रखें कि जमीन पर लेटते समय साँस लेना है और पैरों को ऊपर उठाते समय साँस को रोककर रखना है। पैरों को नीचे लाते समय साँस छोड़ना है।



लाभ:—यह मणि पुर चक्र को विकसित करता है। यह अम्लता, कब्ज, पवन मुसीबतों, अपच और गैस्ट्रो इन्टेस्टाइनल विकारों इलाज करता है। इससे तंत्रिका तनाव से एक राहत मिलती है। गर्दन और कंधों के स्नायु को मजबूती प्राप्त होती है। पैर और कमर मजबूत होता है।





“कुछ-कुछ ऐसा भी”

— डॉ. जी.एन. सोमदेवे

पूर्व उप महाप्रबंधक, रा.आ.बैंक, नई दिल्ली



रेरा— काफी वक्त से खरीददार इस बात की सरकार से शिकायत कर रहे थे कि रिएल एस्टेट की लेन-देन एकतफा और ज्यादातर विकासकर्ता/बिल्डर के फेवर में है और उपभोक्ता को इसमें तरजीह नहीं दी जाती है। भूमि एवं उस पर बनाए गए भवन आदि सम्मिलित रूप से स्थावर संपदा यानि की रियल एस्टेट कहलाता है। रिएल स्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो घरेलू खरीददारों की रक्षा करने के साथ-साथ स्थावर संपदा में निवेश को बढ़ाने में सहायता करता है। यह अधिनियम राज्यसभा में 10 मार्च, 2016 तथा लोकसभा में 15 मार्च, 2016 को मंजूर हुआ। इसकी 92 धाराओं में से 69 धाराओं को 01 मई, 2016 से लागू कर दिया गया। एक अधिनियम डॉ. गिरिजा व्यास, तत्कालीन आवास मंत्री महोदया द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। इससे पूर्व इस अधिनियम को स्टैंडिंग समिति तथा सिलेक्ट समिति के समझ प्रस्तुत किया गया था।

रिएल एस्टेट (स्थावर संपदा) क्षेत्र के लिए कानून का प्रस्ताव पहली बार वर्ष 2009 में राज्यों के आवास मंत्रियों के राष्ट्रीय बैठक में पारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवासीय एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय जबकि दिल्ली के लिए शहरी विकास मंत्रालय को नियम बनाने के लिए प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. राज्य स्तर पर रिएल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान।
2. त्वरित न्यायाधिकरणों द्वारा विवादों का 60 दिनों के भीतर समाधान।
3. सभी निर्माण योजनाओं को रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य।
4. ग्राहकों से ली गई 70 प्रतिशत धनराशि को अलग बैंक खातों में रखने एवं केवल निर्माण कार्य में प्रयोग करने का प्रावधान।
5. परियोजना संबंधी जानकारी/विवरण खरीददार को अनिवार्यतः देने का प्रावधान।
6. समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा न करने पर बिल्डर द्वारा उपभोक्ता को ब्याज के भुगतान का प्रावधान। यह उसी दर पर होगा जिस दर पर वह भुगतान में हुई चूक के लिए उपभोक्ता से ब्याज वसूलता है।
7. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर बिल्डर को 3 वर्ष की जेल व जुर्माना तथा एस्टेट एजेंट के लिए 1 वर्ष की सजा का प्रावधान।
8. अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत 31 अक्टूबर, 2016 तक अधिकतम 6 माह में राज्य सरकारों को नियम बनाना अनिवार्य।

राज्यों के रेरा प्राधिकरणों द्वारा सन 2019 तक 20000 शिकायतों का निवारण किया

गया तथा 42000 आवासीय परियोजनाओं को पंजीकृत किया गया। हालांकि यह आंकड़े विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित है फिर भी ये आंकड़े संतोषजनक हैं। रेरा ने बिल्डरों पर धाक जमा ली है और बिल्डर भी अब समझने लगे हैं कि उपभोक्ता के पास न्यायालयीन प्रक्रिया के अलावा भी न्याय के साधन उपलब्ध हैं। रेरा में सर्वोत्तम यह पाया गया कि कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ होती है तथा निर्णय तक पहुंचने की कार्रवाई भी शीघ्र संपादित होती है। हमारे देश को इसी तरह की प्रक्रिया की जरूरत है।

राजमार्गों का विस्तार एवं आवास— हम रोज ही सुनते हैं कि फलां राजमार्ग को वहां से वहां बढ़ाया जा रहा है या राजमार्ग को दो लेन से चार लेन या चार लेन से छह लेन में तब्दील किया जा रहा है। आपको जानकारी होगी कि किसी भी गांव में निवासरत जनता के घरों की जमीनों के खरीद फरोख्त के कोई दस्तावेज नहीं होते। बस्तियां बस गई, गांव बस गए और यह लाखों-लाख वर्षों से हो रहा है। पिछली शताब्दी में कुछ लेखा-जोखा हुआ फलस्वरूप गांवों की जमीन को चिन्हित किया गया जैसे दिल्ली में गांव के सीमांकन को “लाल डोरा” कहा गया। प्रदेशों में गांवों की जमीन को चिन्हित कर आबादी की जमीन घोषित की गई। वास्तव में सारी जमीन सरकारी समझें। समस्त भूमि भारत सरकार या राज्य सरकार की समझें। भू-राजस्व संहिता तथा भूमि रख-रखाव संबंधी कानून बनने के पश्चात खेती की जमीन का रूपांतरण कराकर प्लॉटिंग के माध्यम से जमीन बेची गई। लोगों ने विधिवत रजिस्ट्रियां कराकर मकान बनाए यह बात अलग है। मैं उन मकानों की बात कर रहा हूँ जो सालों से आबाद हैं और जिनके मालिक के पास कोई दस्तावेज नहीं है सिर्फ इसके कि ग्राम पंचायतों को टैक्स देते हैं। पंचायतों ने उन्हें बिजली, पानी और साफ-सफाई की व्यवस्था दे रखी है।

राजमार्गों का विस्तार करने से नाममात्र का मुआवजा देकर गरीबों के घर तोड़ दिए जाते हैं। प्रश्न यह है कि वे कहां मकान बनाएं। शासकीय योजना का लाभ तब मिलता है जब जमीन आपके पास हो। घर से बेघर हुए लोग सड़क पर आ जाते हैं। ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता बचाता है कि वे वनभूमि, नूजूल या किसी अज्ञात की जमीन पर कब्जा कर अपना आवास खड़ा कर लें। किसी अज्ञात की जमीन पर तो बाद में समझौता हो जाता है, नूजूल की जमीन पर भी पट्टे मिल जाते हैं लेकिन वनभूमि पर बनाए गए मकानों पर पट्टे नहीं मिलते भले ही वन विभाग ने वन लगाने के लिए उस जमीन का कभी उपयोग न किया हो। यह विडंबना है। ऐसी वनभूमि को नूजूल में परिवर्तित कर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है लेकिन लेकिन राज्य सरकारें भी ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है जोकि नहीं मिलती क्योंकि इसमें कई कानूनी तथा न्यायालयीन अड़चनें हैं। प्रश्न है मनुष्य के व्यवस्थापन की। जब घर से बेदखल होते




हैं तो एक पूरा परिवार सड़क पर आ खड़ा होता है। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है। ग्राम सभाएं/पंचायतें अपनी आय बढ़ाने के लिए अवैध मकानों पर भी टैक्स लगा देती हैं। लेकिन पंचायतों की टैक्स रसीदें, आधार कार्ड, वाटर कार्ड, निवासी प्रमाणपत्र, राशनकार्ड, पेनकार्ड ये सब मकान या जमीन के रजिस्टर्ड दस्तावेज तो नहीं हैं। अतः गरीब बेदखल लोग क्या करें। उनके नसीब में दो गज जमीन भी नहीं। केंद्र सरकार को चाहिए कि समस्या को समझकर राज्यों को वनभूमि की अनुमति दें। राज्य सरकारें पंचायतों की अनुशंसा पर पट्टे प्रदान कर बेदखल लोगों को सामाजिक स्थायित्व प्रदान करें।

संगीत:- अपने जीवन को रसमय और आनंदित बनाए रखने के लिए संगीत बड़ा लाभकारी उपाय है। अच्छा हो संगीत का शौक बाल्यकाल या कम से कम तरुणावस्था में लग जाए। शुरूआत भर हो जाए। हो सकता है नौकरी या व्यापार में व्यस्त रहने पर संगीत के लिए समय न मिले परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि समय बिल्कुल न मिले। सेवानिवृत्ति या वृद्धावस्था में संगीत का रियाज अच्छा हो सकता है। समय बड़े आराम से कट जाता है तथा मान-सम्मान में भी वृद्धि होती है। मन भटकता नहीं। यूं तो सेवानिवृत्ति पश्चात हजारों कार्य हैं जो हम कर सकते हैं मगर जीवन को संगीतमय बना लेना बहुत आनंदकरी बात है। की-बोर्ड, तबला, बासुरी (यदि दांत सलामत हो तो), माउथ ऑर्गन (यदि सांस की बीमारी न हो तो), नृत्य (यदि शरीर कमजोर न हो तो) आदि अच्छी तालिम हैं। वृद्धावस्था में किसी धार्मिक कार्य से जुड़ जाएं तो क्या कहने लेकिन किसी वैचारिक विचारधारा वाले सख्शियत से जुड़ जाएं तो जीने का आनंद दुगना हो जाता है। ओशो के साथ जुड़ जाना जीवन



में हर रोज दीवाली मनाने जैसा है। हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, अच्छी बात है मेरे विचार से महापुरुषों के समाधि स्थलों पर जानकर उनका अनुसरण करना मजदूर बात है। किसना का मंत्र एक देवस्थान एक बार, हर बार नई जगह, नए गुरुवर से भेंट। नया चिंतन। नया संतोष। नई प्रदक्षिणा तथा नया अनुभव। आखिर जीना इसी का नाम है। जीवन में नए रंग तो होने ही चाहिए।

वन भ्रमण:- मनुष्य हमेशा खोजी प्रवृत्ति का रहा है। वह एक ऐसी परिक्रमा से गुजरता है (पैदा हुआ, बड़ा हुआ, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, सेवानिवृत्त हुआ और मर गया) जिसमें अपने मन का कुछ नहीं हो पाता। प्राचीन समय में वानप्रस्थ एक अवस्था थी कि वृद्धावस्था में लोग वन को गमन करते थे। अंतिम समय वहीं गुजरता थ। परंतु अब ऐसा नहीं है क्योंकि परिस्थितियां बदल गईं। वन रहे नहीं बस फॉरेस्ट बच गए हैं। वन का मतलब जो अपने आप उग आया तथा भीतर जाने में रास्ता बनाकर जाना होता है। फॉरेस्ट रोपित होता है। सब पेड़ एक कतार में। मनुष्य सेवानिवृत्ति पश्चात "जंगल एक खोज" जैसे कार्य में भी समय बीताकर कुछ नई खोजें कर सकता है मगर हमारे देश में इस संबंध में कानून कष्टदायक है। जंगल में जाकर खोज करना चाहे तो उसकी अनुमति नहीं मिलती। दरअसल



सेवानिवृत्ति पश्चात कुछ फलदायी करने का यह भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है। वन विभाग तथा सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस विषय में प्रावधान करने चाहिए। आज भी अनेक सत्य भूगर्भ में छिपे हुए हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है। शासन की तरफ से खोज कार्य में विभाग को लगाया गया है मगर वे जन सहयोग नहीं के बराबर लेते हैं। वृद्धजनों के संगठनों को इस दिशा में कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए। पूरा देश पहाड़ों से घिरा पड़ा है। अतीत की खोज के लिए श्रेष्ठ स्थान। मैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल निमाड़ क्षेत्र में पदस्थ था तब वहां मैंने देखा था कि खेतों में, पहाड़ों पर जहां तहां पुराने भग्नावशेष पड़े हुए हैं जिसके बारे में स्थानीय लोग सारगर्भित जानकारी देते हैं मगर शासन की तरफ से खोजकार्य अब तक प्रारंभ ही नहीं किया गया है। विदेशों में प्राइवेंट तौर पर खोज करने के लिए कानून बने हैं। वहां की सरकारें इसके लिए खोजकर्ता को प्रोत्साहित करती हैं। हमारे देश में भी ऐसी की कुछ हो जाए। धरती, पहाड़, चट्टानों के नीचे हमारी सभ्यता छिपी है। खोज करने की अत्यंत आवश्यकता है। जहां पुरातत्व बिखरा पड़ा है वहां सबसे पहले खोज करनी चाहिए। सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं इसलिए निजी तौर पर पंजीकृत और विश्वसनीय वैज्ञानिक स्तर की संस्थाओं तथा व्यक्तियों को यह कार्य सौंपना चाहिए। देश की धरोहर की तस्करी होना भी खोजबंदी का एक कारण है। सरकारी व्यवस्था के अभाव में चोर सक्रिय हो





जाते हैं तो देश की अनमोल धरोहर विदेश पहुंच जाती है।

धरती में जहां- तहां छोटे-छोटे उभार आए टीले, पहाड़ हमें इशारा करते हैं कि वहां कुछ है वरना समतल जमीन पर अचानक गुमड़ क्यों उठा वह भी छोटी सी जगह पर। इसी तरह पर्वत श्रृंखलाओं को पर्वतों में झांकर कर देखा जाए तो अनेक प्राचीन जीवाश्म नजर आते हैं किंतु खोज की अभाव में वे सब नष्ट हो जाते हैं। सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ज्यादा पुरातत्व गुफाएं, भित्ति चित्र एवं प्राचीन इतिहास भरा पड़ा है और सतपुड़ा के पर्वतों में "हार्डरॉक" होने से खोज करना भी आसान और सहज है। पुरातत्व की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है। इस खोज को जारी रखने में सरकार सबकी मदद ले तो बहुत अच्छा है।

डाइबेटिक न्यूरोपैथी- लंबी अवधि तक मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त रोगी डायबेटिक न्यूरोपैथी के शिकार हो सकते हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यहां मैं ब्रेन स्ट्रोक की बात करना चाहूंगा। आयुर्वेद में मेंदू विकार हेतु प्राचीन समय में गर्म दवाओं (जड़ी-बुटियों) का प्रयोग होता था। जायफल, नागकेसर आदि जड़ी-बुटियों एवं फलों का लेपमय टोप लगाते थे जिससे मेंदू में जमा जलतत्व (इन्फेक्शन) सुख जाता था। मेंदू विकार ठीक हो जाता है। किंतु आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ऐसा नहीं है। एमआरआई द्वारा पता लगाया जाता है कि मेंदू की क्या स्थिति है। मेंदू जल सुखाने के लिए दवाइयां दी जाती है। होता यह है कि इससे केवल मेंदू का नहीं अपितु पूरे शरीर का पानी सुख जाता है। डॉक्टर पानी बार-बार पीने की सलाह देता है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो किंतु होता यह है कि इससे डॉक्टर, अस्पताल, रोगी तथा रोगी के अपने परिचारक ठीक से ध्यान नहीं



देते। ऐसी परिस्थिति में रोगी का थूक दही जैसा गाढ़ा हो जाता है एवं पेशाब रूक जाता है। किडनी डैमेज हो जाती है। अपना काम करना बंद कर देती है। यह भयावह परिस्थिति है। आनन-फानन में वार्ड में भर्ती रोगी आईसीयू में पहुंचा दिया जाता है तथा डायलेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अचानक पल्स रेट घट जाती है। कभी-कभी यह खेल महंगा पड़ता है। सौभाग्यशाली रोगी वे होते हैं जिनकी किडनी पुनः कार्य करना प्रारंभ कर देती है। प्रारंभ में किडनी की चाल पूर्णतः असंतुलित होती है। इनटेक तथा आउटलेंट में बहुत फर्क होता है। एक लीटर पानी पीने के पश्चात शरीर से दो लीटर पानी बाहर मूत्रमार्ग से निकलता है। यह विधाता

का या कहें प्रकृति का ही खेल है कि किडनी अपने बंद समय को पूरा करना चाहती है। करीब 4 से 5 दिनों में किडनी नॉर्मल हो जाती है। अतः डीहाइड्रेशन (पानी की कमी) जैसी अवस्था में रोगी न आए ऐसी दखल सभी ने दी जानी चाहिए। विशेष कर रोगी के साथ जो सगे-संबंधी, जिन्हें साथ रहने की अनुमति मिलती है वे पूर्णतः अलर्ट रहना अति आवश्यक है। रोगी से बात करते रहें, अवस्था पर ध्यान दें एवं अपना स्वयं का आकलन कर ड्यूटी डॉक्टर, अटेंडेंट तथा निर्धारित नर्स को जब-जब सूचित करते रहें। बेहतर अस्पताल के डॉक्टर्स जो रोगी के पैनल में हो उन्हें वाट्सअप द्वारा या मैसेज द्वारा रोगी की स्थिति के बारे में सूचित करते रहें। उनसे बात करते रहें। संयोगवश यह बताना चाहूंगा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कैंसर का इलाज भी विचित्र प्रकार से होता है। एक निश्चित जगह पर कैंसर का पता चलने पर शरीर के उस प्रभावित अंग के लिए बनने वाले कैंसर ग्रस्त सेल्स की उत्पत्ति को रोकने के कोई उपाय नहीं हैं अपितु शरीर में बनने वाली सभी नए सेल्स की उत्पत्ति को दवाओं द्वारा रोक दिया जाता है। रोगी के सर्वांग की स्थिति बिगड़ जाती है। कभी-कभी विशेष कैंसर ग्रस्त पार्ट निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब कुछ भी निश्चित नहीं होता है। यह चिकित्सा डॉक्टर के अनुभव, कुशलता एवं सटिक निदान पर निर्भर रहता है।

डायबेटिक न्यूरोपैथी में पैरों में जलन होना, चक्कर आना प्रमुख लक्षण है। उन्हें साफ सूती जुराबें पहनना चाहिए, नंगे पांव नहीं रहना है। पैरों की साफ-सफाई रखें। पेडिक्योर, मेनिक्चोर हेतु किसी एक्सपर्ट की मदद लें। स्वयं बाथरूम सर्जन न बनें।

(लेखक आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं)

शहर से गाँव की ओर- अमूमन यह होता है कि गाँव में पले-बढ़े और शिक्षा पाकर लोग शहरों में नौकरी कर लेते हैं तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात उसी शहर में बस जाते हैं। बच्चे भी गाँव की ओर लौटना नहीं चाहते। यह स्थिति मेरे हिसाब से संतोषजनक नहीं है। आप इतने साल शहर में रहे, बच्चे नौकरियों में/व्यापार में व्यवस्त हो गए, ऐसे में गाँव की ओर लौटना उनके लिए संभव नहीं होता। सेवानिवृत्ति पश्चात अपनी धूरी पर लौटना, अपनों के बीच लौटना, अपनी पैदाइशी जगह पर फिर से आ बसना कितना सुखद होता है यह कोई किसना से पूछे। यह जरूरी नहीं कि आप गाँव में हमेशा के लिए लौट आएँ। मेरा आशय है कि आप शहर और गाँव में सामंजस्य बैठा लें। कुछ दिन यहां तो कुछ दिन वहाँ। गाँवों में आज भी वातावरण शुद्ध है इसलिए अपनी पहचान बनाए रखना, अपने बच्चों को अपने अतीत से जोड़े रखना जरूरी है। अपना वतन तीर्थ के समान होता है। हालांकि सभी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। परंतु यथासंभव गाँव की ओर लौटना, अपने गाँव की मदद करना, अपनों के साथ रहना, यह सुखदायी है। भाग्यशाली होते हैं जो अपने गाँव से अपना नाता बनाए रखते हैं। उन्हीं लोगों को अपनी जड़ तलाशने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। शहरों में अजनबी की तरह रहने से ज्यादा अच्छा है कि अपने जन्म स्थान से अपना रिश्ता बनाए रखें।





रोग प्रतिरोधक क्षमता

— मो फ़ैजी

अग्रज श्री दावर हुसैन, उप प्रबंधक



रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का वो सिस्टम है, जिसकी वजह से यह बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या किसी भी बाहरी तत्व (टॉक्सिन) से मुकाबला करके उसे बाहर निकाल फेंकता है। एक मजबूत इम्यून सिस्टम हमें सर्दी-जुकाम हेपेटाइटिस, लंग्स इंफेक्शन, किडनी इंफेक्शन, पेट के इंफेक्शन और ऑटोइम्यून डिजीज से भी बचाता है। वैसे तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से इम्यून सिस्टम के कमजोर होने की पुष्टि हो सकती है लेकिन हमारा शरीर भी ऐसे साफ संकेत देता है, जिनसे इम्यून सिस्टम के कमजोर होने का पता चल जाता है।

अगर आप घर के दूसरे सदस्यों की तुलना में बार-बार बीमार पड़ती हैं, लगातार सर्दी-जुकाम, एलर्जी, खांसी, स्किन रैशेज से परेशान रहती हैं तो समझ लें कि आपका इम्यूनसिस्टम बेहद कमजोर है। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उन्हें बार-बारयूरीन इंफेक्शन, डायरिया, मसूड़ों में सूजन, मुंह में छाले, लिंफ नोड्स में सूजन की शिकायत होती है। मौसम बदलते ही सबसे पहले इनको समस्या होती है, बुखार भी आ जाता है। इस प्रकार, रोग-प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की शक्ति है, जो व्यक्ति को सेहतमंद रहने में सहायता करती है।

रोग-प्रतिरोधक क्षमता क्यों जरूरी है?

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि सभी लोगों के लिए बेहतर रोग-प्रतिरोधक क्षमता होना काफी जरूरी है क्योंकि यह उसे मुख्य रूप से इन 5 परेशानियों से बचाती है—

- **सेहतमंद रहना**— रोग-प्रतिरोधक क्षमता के सही होने का प्रमुख कारण सेहतमंद रहना है। जिस व्यक्ति की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, वह अधिक सेहतमंद रहता है।
- **मानसिक रूप से मजबूत होना**— रोग-प्रतिरोधक क्षमता का असर लोगों के शरीर के साथ-साथ मस्तिष्क पर भी पड़ता है। यह उसे मानसिक रूप से मजबूत रहने में मदद करती है, जिससे उसे मानसिक रोग होने की संभावना कम हो जाती है।
- **शारीरिक मजबूती बनी रहना**— रोग-प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत रहने में सहायता करती है। एक ओर, कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमतावाले व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है, वहीं दूसरी ओर मजबूत रोग-प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि

उसकी शारीरिक मजबूती बनी रहती है।

- **आने वाली पीढ़ियों को सेहतमंद रखना**— अक्सर, कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता की समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिसकी वजह से यह समस्या आने वाली पीढ़ियों में भी देखने को मिल सकती है। इसी कारण, इसे मजबूत बनाने की आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी सेहतमंद रहे।
- **परिवार को गंभीर बीमारियों से बचाना**— कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता का असर आने वाली पीढ़ियों पर नहीं बल्कि परिवार के मौजूद सदस्यों की सेहत पर भी पड़ता है।
- **इस प्रकार, सभी लोगों को अपनी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनके परिवार के सदस्यों को किसी तरह की बीमारी न हो।**

रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के लक्षण क्या हैं?

किसी भी व्यक्ति के लिए कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता का होना चिंताजनक होता है। किसी भी अन्य समस्या की तरह कमजोर इम्युनिटी पावर के भी कुछ लक्षण होते हैं, जिन्हें किसी व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर में निम्नलिखित लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए क्योंकि ये कमजोर इम्युनिटी पावर के संकेत हो सकते हैं—

- **तनाव महसूस होना**— कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता का प्रमुख लक्षण तनाव महसूस होना है, क्योंकि इसका असर व्यक्ति के शरीर के साथ-साथ उसके मानसिक सेहत पर भी पड़ता है। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को अचानक से किसी भी काम में मन न लगाना, लोगों से न मिलना इत्यादि जैसे लक्षण महसूस होते हैं तो उसे तुरंत मनोवैज्ञानिक से मिलकर अपनी सेहत की जांच करानी चाहिए ताकि तनाव का इलाज समय रहते कराया जा सके।
- **अधिक सर्दी लगना**— यदि किसी शख्स को अधिक सर्दी महसूस हो तो उसे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता का लक्षण हो सकता है।
- **पेट संबंधी परेशानियां होना**— अगर किसी शख्स को पेट संबंधी परेशानियां जैसे दस्त लगना, कब्ज होना, गैस होना इत्यादि होती हैं, तो उसे मेडिकल



सहायता लेनी पड़ सकती है क्योंकि यह कमजोर रोग- प्रतिरोधक क्षमता का लक्षण हो सकता है।

- **चोट को ठीक होने में समय लगना**— सभी लोगों को चोट लगती ही रहती है, जो कुछ समय के बाद स्वयं ही ठीक हो जाती है। लेकिन, यदि किसी शख्स की चोट लंबे समय तक ठीक न हो तो उसे इसकी सूचना अपने डॉक्टर को देनी चाहिए क्योंकि ऐसा कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता का संकेत हो सकता है।
- **संक्रमण होना**— कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता का अन्य लक्षण संक्रमण होना है। ऐसी स्थिति में संक्रमित लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ताकि उन्हें संक्रमण से छुटकारा मिल सके।
- **कमजोरी महसूस होना**— लो इम्युनिटी पावर का अन्य लक्षण कमजोरी महसूस होना है। हालांकि, लोग कमजोरी महसूस होने को सामान्य समस्या समझते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना उन्हें बीमार बना सकता है।

प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण—

इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं। यह आपके खाने से लेकर आपकी दिनचर्या तक से प्रभावित हो सकता है। नीचे जानिए इम्यून सिस्टम कमजोर होने के विभिन्न कारण —

- प्रतिरोधक क्षमता का जन्म से कमजोर होना।
- कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या अन्य दवाओं के चलते।
- अंग प्रत्यारोपण के बाद, उस अंग को सक्रिय रखने के लिए ली जाने वाली दवाओं का सेवन करने से।
- संक्रमण के कारण।
- अल्कोहल का सेवन करना।
- धूम्रपान करना।
- शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना।
- एचआईवी (एड्स का मुख्य कारण)

जानिए इम्युनिटी बढ़ाने के उपाय क्या हैं

- इम्युनिटी बढ़ाने के उपाय में ब्लैक टी और ग्रीन टी दोनों उपयोगी है। डेली एक-दो कप पीने से इम्यून पावर को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन, इसका

ये मतलब नहीं है कि आप जरूरत से ज्यादा ब्लैक टी और ग्रीन टी पीने लग जाएं। जरूरत से ज्यादा पीने से इसके नुकसान भी हैं।

- बॉडी में इम्यून पावर बढ़ाने के लिए विटामिन-सी काफी सहायक होता है। नींबू और आंवला में भरपूर विटामिन-सी होता है। आप डेली किसी न किसी रूप में इसको खा सकते हैं।
- इम्युनिटी बढ़ाने के उपाय और हैं, जिसका फायदा हेल्थ और फिटनेस के लिहाज से बहुत ही ज्यादा है। वो है योग और एक्सरसाइज। योग और एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी को हमेशा फिट रख सकते हैं। साथ ही साथ बॉडी में इम्युनिटी भी बढ़ा सकते हैं।
- इम्युनिटी पावर बढ़ाने में कच्चा लहसुन भी बहुत कारगर है। लहसुन में विटामिन ए, सल्फर और जिंक होता है। जिससे बहुत ज्यादा इम्यून पावर बढ़ती है।
- मोटापा होना या दुबलेपन की वजह से भी इम्युनिटी कम होती है। इसलिए वजन को शरीर के अनुसार नियंत्रित रखें। शरीर में कमजोरी की वजह से ज्यादा इम्युनिटी पावर कम होती है।
- खाने में विटामिन-सी के अलावा विटामिन-डी पर भी ध्यान दें। विटामिन-डी इम्युनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसी तरह बादाम में विटामिन-ए होता है, जिससे इम्यून पावर बढ़ती है।
- नवजात शिशु में इम्यून पावर बढ़ाने के लिए मां का दूध रामबाण का काम करता है, जो छोटे बच्चों को दस्त, बुखार, एलर्जी और इंफेक्शन से बचाने में मदद करता है।
- इसी तरह महिलाएं, बुजुर्ग और व्यस्क लोग इम्यून पावर बढ़ाने के लिए शतावरी, अश्वगंधा, तुलसी, मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं।
- सभी लोग घर में खाने में दही को शामिल करके अपने शरीर में इम्युनिटी को बैलेंस कर सकते हैं।
- इम्युनिटी बढ़ाने के उपाय में आप सब्जियों का सेवन भी कर सकते हैं। इसी तरह हरी पत्तेदार सब्जियों को हर तरह से सही माना जाता है। पालक में फोलिक एसिड होता है, जो शरीर में नए सेल्स व पुराने सेल्स को ठीक करने में मदद करता है। पालक में फाइबर एंटी-ऑक्सिडेंट और विटामिन-सी होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और इम्युनिटी भी बढ़ता है।





भाषा संसद

— सौरभ शेखर झा
अनुवादक

सभी तरफ काफी हलचल है। कुछ लोग एक जगह पर इक्ड्डा हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मुझे भी इस सभा में बुलाया गया था इसलिए मैं भी तैयार होकर घर से निलक पड़ा। मुझे लग रहा था कि आज जिस भाषा संसद का आयोजन किया गया है ये किसी धर्म संसद से कम नहीं होने वाला। वैसे तो इस संसद में हर एक भाषा को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन इस बार का संसद कुछ खास होने वाला है क्योंकि इसमें तीन पक्ष अपनी बात रखने वाले हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि इनके बीच का विवाद काफी गहरा हो गया है इसलिए यह सभा बुलानी पड़ी है। सभी लोग धीरे-धीरे संसद में जुट रहे हैं। इस संसद के सभापित सभ्यता और संस्कृति हैं। जबकि समाज ज्युरी की भूमिका में है। जिन तीन पक्षों के बीच विवाद है वो भी आ चुके हैं।

सभापति महोदय ने सबसे पहला मौका विदेशी आगंतुक को दिया है। विदेशी आगंतुक देखने में तो काफी सुशील लग रहा है लेकिन उसमें दंभ का भी भाव देखा जा सकता है।

“इस संसद में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा, इसलिए कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के बीच में नहीं बोलेगा” सभापति महोदय गंभीर स्वर में बोलते हैं।

पहला पक्ष: ठीक है सभापति महोदय! मैं अंग्रेजी हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं। मुझे आपके देश में आए काफी वर्ष हो गए हैं लेकिन आज भी मुझे विदेशी होने का ताना मारा जाता है। जबकि सच्चाई तो यह है कि आज मैं आपके ही नहीं बल्कि



विश्व के कई देशों की जरूरत को पूरा कर रहा हूँ। आज आपके यहां के लोग किसी दूर प्रदेश का काम कर पा रहे हैं या यहां जाकर अपने लिए आजीविका का प्रबंध कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं इसके लिए उन्हें मेरा धन्यवाद कहना चाहिए। इन्हें लगता है कि मुझे इस देश पर जबरदस्ती थोपा गया है। लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं

मानता। मैं थोपी जाने वाली वस्तु नहीं हूँ और एकबार को यदि यह मान भी लिया जाए तो मेरे रहने से आपके देश को क्या नुकसान हुआ है। ये तो बताए कोई। आज विश्व भर में यदि लोग एक दूसरे को अपने भाव प्रकट कर पा रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं मेरा भी योगदान है। भूमंडलीकरण यदि आज सफल हुई है तो उसके पीछे



मैं भी एक कारण रहा हूँ। आज बड़ी-बड़ी कंपनियों में मेरे नाम पर लोग लाखों की सैलरी प्राप्त कर रहे हैं। मेरे कारण इस देश के लोगों का मान विदेशों में बढ़ा ही है, घटा तो नहीं। विश्व के कुल 195 देशों में से 67 में मैं प्रमुख भाषा के रूप में शोभायमान हूँ तो वहीं 27 ऐसे देश भी हैं जहां दूसरी भाषा के रूप में मेरा उपयोग किया जाता है। शेष देशों में भी मैं विकास कर रहा हूँ। मुझे वैश्विक भाषा होने का सौभाग्य प्राप्त है। मेरी उत्पत्ति का इतिहास भी काफी पुराना है। 5वीं सदी के आसपास मेरा जन्म हो गया था और मैंने अपने श्रम से यह ख्याति प्राप्त की है।

“ठीक है, आपकी बात को सुन लिया गया है। अब दूसरा पक्ष अपनी बात रखे।” सभापति महोदय कहते हैं।

दूसरा पक्ष: नमस्कार सभापति महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा प्रणाम। मैं हिंदी हूँ जैसा कि आप सभी को मालूम ही है। यह धरती मेरी जननी रही है। भाषा भावों और विचारों की संवाहक होती है। मेरा उद्भव वैसे तो संस्कृत से हुआ है लेकिन मेरी लिपि देवनागरी ही रही है। जिसे देवों की लिपि भी कहा जाता है। मुझे आधुनिक भारत-आर्यन भाषा का गौरव प्राप्त है और जहां तक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा की बात है तो जहां एक ओर मैं भारत की राष्ट्रीय आधिकारिक भाषा हूँ वहीं दूसरी ओर लगभग छह मीलियन लोग मुझे पहली या दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। मैं कहीं सूरीनामी हिंदी तो कहीं किसी अन्य नाम से जानी जाती हूँ लेकिन मेरी भी व्यापकता धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन इस विदेशी आगंतुक के आने के बाद से मेरे साथ दोयम दर्जे वाला व्यवहार किया जाने लगा है। मुझे





बोलने वाले लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। मुझे अपने खुद के देश में विस्तार हेतु संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि इनको इस देश पर थोपा नहीं गया तो फिर कोई बताएगा कि आज भी जब किसी चीज को मान्य मानने की बात होती है तो लोग इनके रूप को ही मान्य क्यों मानते हैं। फिर चाहे वह प्रश्नपत्र हो या कोई न्यायिक आदेश। क्यों अधिकतर साक्षात्कार में इन्हें बोलने वाले को उत्कृष्ट और हिंदी में साक्षात्कार देने वाले को दोयम दर्जे का माना जाता है। क्यों बेहतर से बेहतर तरीके से खुद को हिंदी में प्रस्तुत करने पर भी उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जाता जो एक टुटे-फुटे अंग्रेजी बोलने वाले को दिया जाता है। क्यों लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में ही भेजना चाहते हैं जबकि इतिहास उल्टा कर देख लीजिए कि एक समय था जब हिंदी भाषी ज्यादा लोग नौकरियां प्राप्त कर रहे थे। जबकि आज भी देश का एक बड़ा तबका है जो किसी न किसी भय या लालच वश से अंगीकार कर रहा है। मानता हूँ कि मेरे नियति निर्धारकों द्वारा भी कुछ गलती हुई है, जिसके कारण आज हालात यह हो गई है कि या तो मैं वाट्सएप की हिंदी रह गई हूँ या फिर सरकारी हिंदी। बोलचाल की या आमजन की भाषा से दूर होती जा रही हूँ। मुझे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन इनका दंभ मुझे ज्यादा सता रहा है। मुझे सभा को अभी और कुछ नहीं कहना।

सभापति काफी सोचनीय मुद्रा में हैं। तभी तीसरे पक्ष की ओर इशारा करते हैं।

तृतीय पक्ष: सभापति महोदय मेरा दुःख इन दोनों से कहीं अधिक है। मैं क्या करूँ, कहां जाऊँ? एक खुद को वैश्विक भाषा तो दूसरे स्वयं को राष्ट्रीय भाषा की उपमा




दे रहे हैं। लेकिन मेरा क्या। मैं तो स्थानीय भाषा हूँ। हर 50 से 100 किलोमीटर पर मेरा रूप बदल जाता है। मैं इतनी पुरानी हूँ कि मेरे विभिन्न रूपों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई ये भी लोगों को नहीं मालूम। और जहां तक अभिव्यक्ति की बात है तो कोई भी सबसे पहले अपने भावों की अभिव्यक्ति या किसी चीज को मेरे रूप में ही सीखता और समझता है। लेकिन स्कूल पहुंचते ही ये दोनों मेरा स्थान ले लेते हैं

और धीरे-धीरे मुझे भुला दिया जाता है। संसार की तो क्या ही बात की जाए, केवल भारत में ही कई सारे मेरे रूप हैं जो आज मरने के कगार पर हैं। देश का कुलीन वर्ग जहां अंग्रेजी को संरक्षण प्रदान कर रहा है तो वहीं हिंदी को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। लेकिन मेरा क्या, मुझे तो किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। क्या यही न्याय है। मैं मरने के कगार पर हूँ, मुझे बचाइए, वरना लोगों के बीच अभिव्यक्ति भी कठिन हो जाएगी।

पूरे सभा में सन्नाटा पसर जाता है। सभी लोग एक-दूसरे को देख रहे हैं। तभी सभापति ज्यूरी की ओर इशारा करते हैं।

समाज: “हमने तीनों पक्षों की बात को काफी गंभीरता से सुना है और कहीं न कहीं हमें भी लगता है कि अंग्रेजी हिंदी पर ज्यादा हावी हो रही है लेकिन दूसरी तरफ हमारा यह भी मानना है कि अंग्रेजी का इसमें दोष नहीं है। दोष यदि किसी का है तो वो है हमारे देश के नीति-निर्धारकों का। लेकिन सबसे बड़ी चिंता हमें स्थानीय



भाषा को लेकर है जो सच में इन दोनों के बीच पीस रही है और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।”

सभापति: ठीक है। तो मेरा निर्णय यह है कि अंग्रेजी से किसी भी प्रकार का बैर न किया जाए। हिंदी के नीति निर्धारकों को इसकी स्थिति को सही तरीके से ठीक करने का आदेश दिया जाए। लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता स्थानीय भाषा को लेकर है और उसे किस प्रकार से उसका उचित स्थान प्राप्त हो इसमें हम सभी को प्रयास करना होगा वरना वो लोकगीत और लोक व्यवहार का संस्कार समाप्त हो जाएगा जो हमारी विशेषता रही है। इसलिए समाज ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन सबका ध्यान रखो लेकिन सबसे अधिक मेरी प्यारी बेटे स्थानीय भाषा का रखो क्योंकि यह मर रही है।





ठेस

— फणीश्वरनाथ रेणु
जन्मतिथि: 4 मार्च, 1921



फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को औराडी हिंगन्ना, जिला पूर्णियां, बिहार में हुआ। आप आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। 1942 के भारत-छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। 1954 में मैला आँचल उपन्यास प्रकाशित हुआ तत्पश्चात् हिन्दी के कथाकार के रूप में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा मिली। उनकी अब तक उपलब्ध कहानियों की संख्या 63 है। तुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी 11 अप्रैल, 1977 को पटना में अंतिम सांस ली।

खेती-बारी के समय, गाँव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, 'बेगार' समझते हैं। इसलिए, खेत-खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा, उसको बुला कर? दूसरे मजदूर खेत पहुँच कर एक-तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा – पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ, धीरे-धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है।

आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था, जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े-बड़े बाबू लोगो की सवारियाँ बँधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। "...अरे, सिरचन भाई! अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर



चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से – सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो।"

मुझे याद है... मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, 'भोग क्या क्या लगेगा?'

माँ हँस कर कहती, 'जा-जा, बेचारा मेरे काम में पूजा-भोग की बात नहीं उठाता कभी।'

ब्राह्मणटोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने – 'तुम्हारी भाभी नाखून से खॉट कर तरकारी परोसती है। और इमली का रस साल कर कढ़ी तो हम कहार-कुम्हारों की घरवाली बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई!' इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता...

सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, 'आओ सिरचन! आज नेनू मथ रही थी, तो तुम्हारी याद आई। घी की जाड़ी (खखोरन) के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है न... और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है, मोथी के शीतलपाटी के लिए।'

सिरचन अपनी पनियायी जीभ को सँभाल कर हँसता – 'घी की सुगंध सूँघ कर आ रहा हूँ, काकी! नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है?'

सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठ कर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक-एक मोथी और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जातां से उसकी कुच्ची बनाता। फिर, कुच्चियों को रँगने से ले कर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त... काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेंहुअन साँप की तरह फुफकार उठता – 'फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं।'

बिना मजदूरी के पेट-भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले, तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता।

सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं... तली-बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ; दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने-पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म! काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा – 'आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा-सा रह गया है, किसी दिन आ कर पूरा कर दूँगा... 'किसी दिन'– माने कभी नहीं!

मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतलपाटी, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी-चुन्नी रखने के लिए मूँज की रस्सी के बड़े-बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी-टोपी तथा इसी तरह के बहुत-से काम हैं, जिन्हें सिरचन के सिवा गाँव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गाँव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग– बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पेट-भर खिला दो,



काम पूरा होने पर एकाध पुराना-धुराना कपड़ा दे कर विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा...

कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है... महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुन कर तिलमिला उठी थी – ठहरो! मैं माँ से जा कर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात!

'बड़ी बात ही है बिटिया! बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो-दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिला कर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी!' सिरचन ने मुस्करा कर जवाब दिया था।

उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिख कर चेतावनी दे दी है – 'मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं। तीन जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की दो शीतलपाटियों के बिना आएगी मानू तो...' भाभी ने हँस कर कहा, 'बैरंग वापस!' इसलिए, एक सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुला कर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने – 'देख सिरचन! इस बार नई धोती दूँगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगा कर ऐसा काम करो कि देखने वाले देख कर देखते ही रह जाएँ।'

पान-जैसी पतली छुरी से बाँस की तीलियों और कमनियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डाल कर वह चिक बुनने बैठा। डेढ़ हाथ की बिनाई देख कर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी।



मँझली भाभी से नहीं रहा गया, परदे के आड़ से बोली, 'पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती।'

काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, 'मोहर छापवाली धोती के साथ रेशमी कुरता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है... मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है।'

मँझली भाभी का मुँह लटक गया। मेरे चाची ने फुसफुसा कर कहा, 'किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूँगिया-लड्डू। बेटी की विदाई के समय

रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी। देखती है न।'

दूसरे दिन चिक की पहली पाँति में सात तारे जगमगा उठे, सात रंग के। सतभैया तारा! सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है, होठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने-पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डाल कर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली – चिउरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास दो रेखाएँ उभर



आईं। मैं दौड़ कर माँ के पास गया। 'माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चिउरा और गुड़?'

माँ रसोईघर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, 'मैं अकेली कहाँ-कहाँ क्या-क्या देखूँ!... अरी मँझली, सिरचन को बुँदिया क्यों नहीं देती?'

'बुँदिया मैं नहीं खाता, काकी!' सिरचन के मुँह में चिउरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा, अछूता।

माँ की बोली सुनते ही मँझली भाभी की भौंहे तन गईं। मुट्ठी भर बुँदिया सूप में फेंक कर चली गईं।

सिरचन ने पानी पी कर कहा, 'मँझली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बाँटती है क्या?'

बस, मँझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जा कर लगाया – 'छोटी जाति के आदमी का मुँह भी छोटा होता है। मुँह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही... किसी के नैहर-ससुराल की बात क्यों करेगा वह?'

मँझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई – 'सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो, मुझसे कहो।'




सिरचन का मुँह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाँस में टँगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा।

मानू पान सजा कर बाहर बैठकखाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली और इधर-उधर देख कर कहा – 'सिरचन दादा, काम-काज का घर! पाँच तरह के लोग पाँच किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो।'

सिरचन ने मुस्कुरा कर पान का बीड़ा मुँह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देख कर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देख कर कहा – 'छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना। बहुत दिन हुए...।'

चाची कई कारणों से जली-भुनी रहती थी, सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, 'मसखरी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो? ...चटोर कहीं के!' मेरा कलेजा धड़क उठा... यत्परो नास्ति!

बस, सिरचन की उँगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो, कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुँह में घुलाता रहा। फिर, अचानक उठ कर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हँसियाँ वगैरह समेट सँभाल कर झोले में रखे। टँगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आँगन के बाहर निकल गया।



चाची बड़बड़ाई – 'अरे बाप रे बाप! इतनी तेजी! कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। आठ रुपए में मोहरछाप वाली धोती आती है... इस मुँहझोंसे के मुँह में लगाम है, न आँख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी। बांतर टोली की औरतें सिर पर गड्ढर ले कर गली-गली मारी फिरती हैं।'

मानू कुछ नहीं बोली। चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही... सातो तारे मंद पड़ गए।

माँ बोली, 'जाने दे बेटी! जी छोटा मत कर, मानू। मेले से खरीद कर भेज दूँगी।'

मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतलपाटी दी थी माँ ने। ससुरालवालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकता के मेहमानों को। वह उठ कर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, एक फटी शीतलपाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है।

मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी! अब नहीं। कान पकड़ता हूँ, अब नहीं... मोहर छाप वाली धोती ले कर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ...ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआजी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? यह शीतलपाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतलपाटी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा... गाँव-भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी... अब क्या?' मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है। वह अब नहीं आ सकता।

बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी – 'यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू?'

मानू कुछ नहीं बोली... बेचारी! किंतु, मैं चुप नहीं रह सका – 'चाची और मँझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी।' मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही जा रहा था।

स्टेशन पर सामान मिलाने समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन-ही-मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर-में-सुर मिला कर कोसने को जी हुआ... कामचोर, चटोर...!गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी – 'बबुआजी!' उसने दरवाजे के पास आ कर पुकारा।

'क्या है?' मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर खिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा – 'दौड़ता आया हूँ... दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं? एक बार देखूँ!'

मैंने दरवाजा खोल दिया।

'सिरचन दादा!' मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े हो कर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, 'यह मेरी ओर से है। सब चीज है दीदी! शीतलपाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी, कुश की।'

गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छापवाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दाँत से काट कर, दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट-फूट रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा – ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम, पहली बार देख रहा था।





हृदय में किसका बिदारूँ



श्री नल्हू अग्रवाल
पिता, नितिन अग्रवाल
उप प्रबंधक

हृदय में किसका बिदारूँ
करुणतम अपनी कथा से।
बावले से दिखते सब

मुस्कान बन हैं रमणती
विदीर्ण मन की वेदनायें।
क्षुधा ने किसकी सुनी है
सिसक रही सारी दिशायें।

बीच काँटों के अकेले
गुलाब मुस्कुराता है अब।
शीश पर दिनकर उटाये
छाँव तरु छाता है अब।

दीप लघु खुद को जलाकर
जगत को आलोक देता।
मेघ घन खुद को मिटाकर
तपती धरा को है भिगोता।

नासमझ तब इस धरा पर
इंसान ही बस एक कैसा।
ईश्वरीय वरदान हो कर
यह आसुरी अभिमान कैसा।

क्या साल पिछला दे गया



हरिवंश राय बच्चन
स्वर्गवास 18 जनवरी, 2003

कुछ देर मैं पथ पर ठहर,
अपने दृगों को फेरकर,
लेखा लगा लूँ काल का जब साल आने को नया!
क्या साल पिछला दे गया?

चिंता, जलन, पीड़ा वही,
जो नित्य जीवन में रही,
नव रूप में मैंने सही,
पर हो असह्य उठी कई परिचित निगाहों की दया!
क्या साल पिछला दे गया?

दो-चार बूँदें प्यार की
बरसीं, कृपा संसार की,
(हा, प्यास पारावार की)
जिनके सहारे चल रही है जिंदगी यह बेहया!
क्या साल पिछला दे गया?



जीवन की नई परिभाषा



पंकज चढ़ा
क्षेत्रीय प्रबंधक

कल तक थी सबको मनमर्जी की आजादी ,
आसमान पे उड़ने के हम सब थे आदी ।
छोटे से कोरोना ने असलियत आज दिखा दी,
शक्तिशाली देशों को भी नानी याद दिला दी ।
जतन अनेक कर लिए, फिर भी हाथ लगी निराशा ,
लॉकडाउन ने सिखला दी जीवन की नई परिभाषा ।

कम्पीटीशन की दौड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में ,
हमने कर दी कितनी बर्बादी, घर पे बंद है सारी आबादी ।
एक अकेले वायरस ने हथकड़िया आज पहना दी ,
क्या करना क्या नहीं करना इसकी लिस्ट बना दी ।
चारों ओर फैली हुई है घनघोर निराशा ,
लॉकडाउन ने सिखला दी जीवन की नई परिभाषा ।

कोरोना शत्रु है अदृश्य, चोहतरफा विनाश इसका लक्ष्य ,
अपनी और दूसरो की जान से ना करें खिलवाड़ ।
अब बन्द करें सभी किवाड़, बन्द करें सभी किवाड़ ,
संतुलित व्यवहार कर, जन्म है अनमोल इसे मत उजाड़ ।
कुछ लोगो को फिर भी लगता है यह सब खेल तमाशा ,
लॉकडाउन ने सिखला दी जीवन की नई परिभाषा ।

डाक्टर, नर्स, सफाईकर्मी या हो सैनिक वर्दीवाला ,
जन सेवा की खातिर जिसने खुद को खतरे में डाला ।
व्यर्थ ना जाए बलिदान, कर्मवीरों को दे सच्चा सम्मान ,
लश्मण रेखा दायरे में रहकर ही बचेगा हिंदुस्तान ।
पालन लॉकडाउन का करें , पूरी हो PM की अभिलाषा ,
लॉकडाउन ने सिखला दी जीवन की नई परिभाषा ।

आफत में है सभी की जान, अब तो जाग जा इंसान ,
फूंक कर बढ़ा कदम, ना फिसल तू जरा संभल ।
घरों में रहकर अपने, हम सब स्वच्छता अपनाये ,
समय समय हाथ धोए और सोशल डिस्टैंसिंग निभाए ।
मंदिर घर में , मस्जिद घर में , घर में ही हो अरदासा ,
लॉकडाउन ने सिखला दी जीवन की नई परिभाषा ।

कोटि कोटि नमन उनको, जिन्होंने तोड़ा कोरोना चेन को ।
वाद विवाद सब छोड़ , फैलाए प्यार की वाणी ,
धन्यवाद उनको , जिन उपलब्ध करवाया दूध, सब्जी, पानी ।
कोरोना काल में , इस भयंकर महामारी के जाल में ,
जिसने अपने आत्मबल को तराशा , उसकी दूर हुई हताशा ।
लॉकडाउन ने सिखला दी जीवन की नई परिभाषा ।
लॉकडाउन ने सिखला दी जीवन की नई परिभाषा ।



किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना

किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

उद्देश्य:

किफायती आवास निधि प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से प्राप्त मांग के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी श्रेणी में दिनांक 01-04-2017 को या उसके बाद स्वीकृत एवं संवितरित वैयक्तिक आवास ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाएगा।

किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना हेतु पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानें:

- आवास वित्त कंपनियां (एसएफसी)
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)
- अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
- अनुसूचित सहकारी बैंक (एससीओबी)
- स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी)
- शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त सोसाइटी (एसीएचएफएस)
- कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी)

कवर क्षेत्र:

- शहरी— प्रधानमंत्री आवास योजना—शहरी के सावंधिक शहर परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र;
- ग्रामीण— प्रधानमंत्री आवास योजना—शहरी के सावंधिक शहर परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य कोई क्षेत्र।

पात्र वैयक्तिक आवास ऋण:

- शहरी— ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रु. से अधिक न हो।
- ग्रामीण— (i) भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिक क्षेत्र दिशा-निर्देश (समय-समय पर यथा संशोधित) में यथा परिभाषित कमजोर वर्ग (ii) ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रु. से अधिक न हो; और (iii) महिलाएं

ऋण अवधि:

अधिकतम— 7 वर्ष

ब्याज प्रभारण सीमा:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु ब्याज प्रभारण सीमा एमसीएलआर प्लस 100 बीपीएस है और अन्य हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक दर प्लस 350 बीपीएस। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को दिया जा रहा पुनर्वित्त वर्तमान में 3.40% प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर है।

- ब्याज का भुगतान — मासिक आधार पर संयोजित और तिमाही आधार पर भुगतान
- मूलधन की चुकौती — तिमाही

अन्य:

किफायती आवास निधि के अंतर्गत किया गया कोई भी संवितरण राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को अनुमोदित स्वीकृति सीमा एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की नियमित पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत लागू अन्य नियम एवं शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा। प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को श्रेणी-वार वैयक्तिक आवास ऋण खातों की सूची साफ्ट प्रारूप सहित मुद्रित रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।




स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार



Help us to
help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

कोरोनावायरस से बचाव के उपाय



आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी,
सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी



अपने हाथों को बार-बार
साबुन और पानी से धोएं।



साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो,
कम से कम 60% अल्कोहल-आधारित
हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें



अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने
से पहले हाथों को धो लें



प्रयोग किए गए टिशू को
तुरन्त बंद कूड़ेदान में डालें



छींकते और खांसते समय अपनी नाक
और मुंह को रुमाल/टिशू से ढकें



सामाजिक आयोजनों और
भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें

अगर आप बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण को महसूस कर रहे हैं, तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 24x7 हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें और निर्देशों का पालन करें

davp 17102/13/0028/1920

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल करें: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com



mohfw.gov.in



@MoHFWIndia



@MoHFW_INDIA



[mohfwindia](https://www.youtube.com/mohfwindia)

कोर 5-ए, भारत पर्यावास केंद्र, 3-5 तल, लोधी रोड नई दिल्ली- 110003

टेली : 011-24649031-35, फैक्स : 011-24646988

वेबसाइट : <http://www.nhb.org.in>



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

नई दिल्ली (मुख्यालय), मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलूरु, हैदराबाद, कोलकाता